लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 24-11-79

की

कार्य सूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक
24-11-79 में विचारणीय विषयों की सूची

=x=x=x=x=x=x=

क्रम स0	विषय	पृष्ठ स0
1	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	10
3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूध्द प्रगति आख्या ।	15
4	25 एम0आई0जी0 भवनों, अलीगँज आवास योजना में प्रस्तावित, का निर्माण कार्य ।	20
5	25 एम0आई0जी0 भवनों, अलीगँज आवास योजना में प्रस्तावित द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण	22
6	नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।	23
7-	सेक्टर "एल" अलीगँज आवासीय योजना द्वितीय चरण में जनसँख्या का घनत्व 243 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6% तथा मार्गो की चौड़ाई 15 फिट तथा 20 फिट रखाने के सम्बन्ध में ।	25
8-	अलीगँज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसँख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़ पार्क का क्षेत्रफल 6·30% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखाने की स्वीकृति ।	26
9-	अलीगँज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण के "एन" सेक्टर में जनसँख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखाने के सम्बन्ध में ।	27
10-	ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइन्ग तैयार करने के लिये रू0 2·34लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	28
11-	लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति ।	29
12-	मे0 वास्तुआँक को छितवापुर कामर्शियल काम्पलेक्स के ड्राइन्ग आदि तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान आदि के विषय में ।	30
13-	जिन्डर्स डम्प आलमबाग में नवनिर्मित दूकानों को किराये पर उठाने के लिये नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	35
14-	हज़रतगँज स्थित जनपथमार्केट व्यवसायिक केन्द्र में स्थित गोदामों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।	39
15-	सेवा निवृत्ति की दिनाँक को प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नगद भुगतान के सम्बन्ध में ।	41

क्रमश:---

16-	लखानऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।	43
17-	विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रार्थनापत्रों को अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु अग्रसारित करने के सम्बन्ध में ।	46
18-	प्राधिकरण के कर्मचारियों व्दारा प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में ।	47
19-	प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	48
20-	भूखण्ड संख्या 3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में ।	49
21-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय	

= = = =: : : 000 : : : = = = =

एम/आर xxx

विषय संख्या: 1 पृष्ठ सं0: 1

<u>वि ष य:</u>

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

=x=x=x=x=

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 का कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।

======::: 000 :::======

एम/आर xxx

दिनाँक 28-9-79 को 10-00 बजे लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में हुई विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्य-विवरण ।

=x =x =x =x =x =

उपस्थिति :

1-	श्री पी0पी0खन्ना	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
2-	श्री बी0जे0खोदायजी	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुर्नवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
3-	श्री राम मणि पाण्डेय	उपसचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4-	श्री योगेन्द्र नारायण	ज़िलाधिकारी, लखनऊ ।
5-	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6-	श्री ओ0पी0विश्नोई	महा प्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश जल निगम ।
7-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
8-	श्री कल्याण शंकर बाजपेयी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
9-	श्री एम0ए0लारी	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।
10-	श्री बी0के0चतुर्वेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

=x=x=x=x=x=

विषाय संख्या:1 विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषाय संख्या:2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण व्दारा उक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

1- सचिव ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि डा0टन्डन ने यह लिखित रूप में दिया है कि उनके पास सन्दर्भित भूमि ख़ासरा स0 415,416 ग्राम शेखापुर, जिसका क्षेत्रफल इस समय । बीघा 3 बिस्वा 10 बिसवान्सी है, के अलावा भारत वर्ष में कोई भूमि अथवा भवन नहीं है । प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये तथा डा0 जय शंकर टन्डन को उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25% भूमि निर्धारित दरों व शर्तों पर आवन्टित कर दी जाये ।

क्रमश:---2

::00x 2 x00::

5- तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या:4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के लिये तत्सम्बन्धी विषय पर नीति निर्धारण करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के पास भूखण्ड, जिसपर पेट्रोलपम्प बना हुआ है, के बारे में विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाये तथा रिपोर्ट दी जाय कि पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन तथा लीज़ शर्तों में परिवर्तन किन परिस्थितयों में किया गया तथा यह भी आख्या दी जाये कि क्या ऐसा कोई और प्रेसीडेन्स इस क्षेत्र में है ।

6- नजूल सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट के लिये अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ़ की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि राजस्व परिषाद व्दारा केवल तीन लोगों की नियुक्ति की गई है जिसमें एक तहसीलदार , एक नायब तहसीलदार तथा एक क़ानून गो सम्मिलित है । इसमें से केवल एक तहसीलदार ने ही कार्य भार गृहण किया है । अत: राजस्व परिषाद से निवेदन किया जाये कि शेष स्टाफ़ ,नायब तहसीलदार व क़ानून गो को शीघ्र ही नियुक्त कर दें । शेष स्टाफ़ के विषय में निर्णय लिया गया कि ज़िलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय से ट्रेन्ड लेखापाल, अमीन व सर्वेयर की लिस्ट माँग कर उनमें से आवश्यक स्टाफ़ शीघ्र नियुक्त कर लिया जाये । लिपिक व चपरासियों की व्यवस्था भी शीघ्र कर ली जाये ।

8- प्राधिकरण के अधिकारियों को विभागीय वाहन व्यक्तिगत प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि हाल में जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार जो संशोधन हुआ है, के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

9- श्रीमती भार्गव को सुना गया तथा उनका प्रतिवेदन निरस्त कर दिया गया ।

12- प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों के निर्माण एवं भूखण्डों के विकास हेतु हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निर्णय लिया गया कि अलीगँज योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में बनने वाले भवन/भूखण्डों के लिये भी शीघ्र ही ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किये जायें ।

15- प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट ग्रेज्युएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम मणि पाडे उपसचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि उक्त एलाउन्स डिप्लोमा होल्डर्स के लिये 50 रुपये तथा डिग्री होल्डर्स के लिये 100/- है, अत: तद्नुसार ही एलाउन्स दिया जाये । अत: निर्णय लिया गया कि पोस्ट-ग्रेज्युएट एलाउन्स सम्बन्धी प्राधिकरण के पूर्व निर्णय को उक्त हद तक संशोधित करते हुए पालन किया जाये ।

क्रमश:-----3

::00x 3 x00::

20- अभियन्त्रण खण्ड के लिये चार जीपों के क्रय करने हेतु निर्णय लिया गया कि शासनादेशानुसार इन जीपों को क्रय करने के लिये शासन से एक्स-पोस्ट-फेक्टो स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।

विषय संख्या:3 बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरूद्ध प्रगति विवरण ।

पारित प्रस्ताव: प्रस्तुत आख्या का अवलोकन किया गया ।

विषय संख्या:4 मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य ।

पारित प्रस्ताव: श्री सुरेन्द्र सिंह की निवेदित धनराशि रू010,68,208-50 पै0 होती है को स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- मकानों की कीमत को नियन्त्रित रखने के लिये एक सेल का गठन किया जाये जो आवास विकास परिषद तथा सी0बी0आर0आई, रूड़की इत्यादि से विचार विमर्श करके मकानों की कीमत को नियन्त्रित करने के लिये अध्ययन करें ।

विषय संख्या:5 अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में

पारित प्रस्ताव : प्राधिकरण द्वारा गाज़ियाबाद व कानपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित ला.ज़रेन्ट का अवलोकन किया गया । विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि लीज़रेन्ट निर्धारण के सम्बन्ध में एक उप-समिति जिसमें उपाध्यक्ष, श्री राम मणि पाण्डेय, उप सचिव, वित्त तथा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य विकास प्राधिकरण, सदस्य होगें, गठित की जाती है जो लीज़ रेन्ट सम्बन्धी मामलों में विचार-विमर्श करके अपनी रिपोर्ट देगी ।

विषय संख्या:6 क:हाता रसूल खाँ योजना में उत्तर प्रदेश जल निगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।

पारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 द्वारा गठित उप समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदन करते हुए निम्न निर्णय लिया गया :-

श्री जगत नरायन सिंह और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों जिनमें सर्व श्री राजनरायन सिंह, तेजनरायन सिंह, हरिनरायन सिंह और श्री नरायन-सिंह 5 विस्थापित हैं उन्हे उनके आय वर्ग को देखते हुए 2 निम्न आय वर्गीय लगभग 1250 वर्ग फ़िट के भूखण्ड, 2 निम्न आय वर्गीय 960 वर्गफिट के भवन एवं एक आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग का भवन आवन्टित कर दिया जाये । वहाँ के शेष विस्थापितों को उनकी आय के अनुरूप निम्न आय वर्ग के अथवा आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व्यक्तियों के लिये निर्मित भवनों का आवन्टन कर दिया जाय ।

उपसमिति ने सर्व श्री डी0पी0दीक्षित एवं के0बी0श्रीवास्तव छितवापुर क्षेत्र के विस्थापितों के विषय में भी विचार विमर्श किया और निर्णय किया कि उनकी परिस्थितयों को देखते हुए उन्हे भी प्रत्येक को लगभग 1250 वर्गफिट का भूखण्ड अहाता रसूल खाँ में आवन्टित किया जाये ।

क्रमश:----4

::00x 4 x00::

ब : हाता रानी साहिबा गन्दी बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत श्री खाटिक पँचायत की भूमि अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 4-7-79 द्वारा गठित उप-समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया एवं निम्न निर्णय लिये गये :-

क : अहाता रानी साहिबा की पूरी भूमि प्रस्तावित योजना के अनुसार अर्जित कर ली जाय और वहाँ के विस्थापितों को वहीं पर उनकी आय वर्ग के अनुसार भवनों का निर्माण कर बसाने की व्यवस्था की जाये ।

ख : यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मलिन बस्ती उन्मूलन सम्बन्धी योजनाओं में तथा अहातों व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में साइट एवं सर्विसेज़ के भूखण्ड विकसित न किये जायें ।

विषय संख्या:7 प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों का पूर्ण करना ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि यह कार्य अक्तूबर 1979 तक पूर्ण कर लिया जाये ।

विषय संख्या:8 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 10-10-79 विषय संख्या :29, शासन शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।

पारित प्रस्ताव: प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 10-10-77 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत शासन शुल्क की दरों से सम्बन्धित प्रस्ताव देखा गया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में वैधानिक राय लेकर दरें शासन के स्वीकृतार्थ भेजी जायें ।

विषय स0: 9 लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

1- ग्लोब पार्क : ग्लोब पार्क के लिये श्री अश्वनी कुमार का अधिकतम आफ़र रू0 2-10 प्रति वर्ग फुट का स्वीकार किया गया ।

2- पार्क लिम्ब सेन्टर के सामने : श्री बी0के0कपूर का अधिकतम आफ़र रू0 1-25 प्रति वर्ग-फिट का स्वीकार किया गया ।

3- शहीद पार्क : श्री अरुण कुमार का अधिकतम आफ़र रू0 2·04 प्रति वर्ग-फुट का स्वीकार किया गया ।

क्रमश:---5

4- पतंग वाला मैदान :

श्री अशोक कुमार का अधिकतम आफ़र रु0 1.67 प्रति वर्ग-फुट का स्वीकार किया गया ।

उपरोक्त ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट्स के लिये निम्नलिखित शर्तें रहेगी :-

1- आवेदक को भूमि का आवन्टन लाइसेन्सी के रूप में किया जायेगा ।

2- प्रथम लाइसेन्स तीन वर्ष के लिये होगा जो कुछ प्रतिवन्धों के साथ किया जायेगा ।

3- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा, जिस समय वह उचित समझेंगे उक्त लाइसेन्स का निरस्तीकरण 15 दिन का नोटिस देकर कर दिया जायेगा । लाइसेन्स के तीन-तीन वर्ष के बाद दो नवीनीकरण किये जा सकेंगे ।

4- लाइसेन्सी द्वारा अस्थाई निर्माण कराया जायेगा जिसका भवन चित्र/डिज़ाइन, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पहले स्वीकृत करा लिया जायेगा ।

5- अगर कोई लाइसेन्सी निर्धारित ज़मीन से अधिक ज़मीन इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको उपरोक्त दरों पर ही उपाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति पर ही कुल 600 वर्ग फुट तक ज़मीन उपलब्ध कराई जा सकती है ।

6- उपाध्यक्ष द्वारा जो भी अन्य शर्तें लगाई जायेगी वह लाइसेन्सी को मान्य होगी ।

7- लाइसेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ऐग्रीमेन्ट अवश्य करना होगा ।

विषय संख्या:10 कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कुर्सी - रोड पर स्थित 600 एकड़ भूमि में से केवल 20 एकड़ भूमि पर उक्त कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये तथा शेष क्षेत्र को स्टेजेज़ में विकास करके कामधेनु नगर बसाया जाये । चूंकि 1978 के मुकाबले में वस्तुओं का मूल्य बहुत बढ़ गया है अत: कामधेनु नगर की संशोधित योजना प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया कि उक्त रोड पर कैटिल कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही की जाये तथा उक्त प्रयोजन हेतु हरदोई रोड पर स्थित ग्राम बिगरिया व छंदोइया, बरावनखुर्द, पीरनगर, बरी कला एवं गजराहार की लगभग 1800 एकड़ भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है अर्जित करने की कार्यवाही की जाये :-

उत्तर	:	ग्राम बरावन कला की भूमि व गोमती नदी ।
दक्षिण	:	लखनऊ हरदोई रोड ।
पूरब	:	सरफ़राज़गंज व बालकगंज ।
पश्चिम	:	महीपतमऊ व बरावनकला ।

क्रमश:---6

::00 xx6xx 00::

विषय संख्या : 11 छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : आइटम वाइज़ ओपेन टेन्डर आमन्त्रित किये जायें तथा निवेदित निम्नतम धनराशि के आधार पर राजकीय निर्माण निगम से निगोशियेशन किया जाये ।

विषय संख्या: 12 नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग़ तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : स्थागित किया गया ।

विषय संख्या: 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन व्दारा स्वीकृति रू0 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेप निधि (सिन्किंग फन्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन व्दारा स्वीकृति 250 लाख सीड कैपिटल के प्रतिदान हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार निक्षेपनिधि स्थापित की जाये :--

डिपा-जिट सं0	भुगतान अवधि महीनों में	भुगतान धन मासिक	पूर्ण धन	यील्ड वैल्यु (पुन:विनि-योजन उपरान्त)	भुगतान तिथि
1	101	33028·28	3335856·28	50,00,000/-	1-12-87
2	113	28060·88	3170879·44	50,00,000/-	1-12-88
3	125	24096·23	3012028·75	50,00,000/-	1-12-89
4	137	20871·01	2859328·37	50,00,000/-	1-12-90
5	149	18205·56	2712628·44	50,00,000/-	1-12-91
		1,24261·96	15090721·28	2,50,00,000/-	

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त निक्षेप निधि के लिये बैंक से अलग-अलग अनुबन्ध निष्पादित किये जायें । उपाध्यक्ष को बैंक से अनुबन्ध करने हेतु अधिकृत किया गया ।

यह भी निर्णय लिया गया कि बैलेन्स शीट्स में भी उक्त का प्राविधान किया जाये । उप-सचिव , वित्त उपरोक्त विषय में अपनी कोई टिप्पणी प्राधिकरण को भेजना चाहें तो अगली बैठक से पूर्व अवश्य भेज दें । उक्त टिप्पणी न आने पर यह निर्णय अन्तिम होगा ।

क्रमश:---7

विषय संख्या: 14 अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हर्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव स0: 183 दिनांक 10-3-65 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त फार्म का कब्ज़ा विशेष भूमि - अध्याप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि हार्टिकल्चर विभाग को उक्त फार्म के बदले में अलीगंज योजना के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में से उतनी ही भूमि दे दी जाये ।

विषय संख्या: 15 जनपथ मार्केट में निर्मित दूकानें हज़रतगंज के विस्थापितों को जिस किराये की दरों पर दी गयीं है, की दरों पर सामान्य व्यक्तियों को आवन्टित की गयी दूकानों पर भी लागू करने के लिये आवेदन-पत्र ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 16 चेतना मंदित मस्तिष्क बाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि विद्यालयों हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर विचार विमर्श करने के लिये एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ, ज़िलाधिकारी लखनऊ एवं श्री एम०एल०लारी, सदस्य विकास प्राधिकरण लखनऊ, होंगे । यह भी निर्णय लिया गया कि यह कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट विकास - प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे ।

विषय संख्या: 17 विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास-परिषद लखनऊ में देय चिकित्सा भत्ता के ही अनुसार रू0 600/-प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 20/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दे दिया जाये ।

यह भी निर्णय लिया गया कि यह निर्णय दिनांक 1-6-78 से लागू समझा जायेगा ।

ब्यूरो इन्टरप्राइज़ेज़ से भी इसकी स्वीकृत ले ली जाये ।

विषय संख्या : 18 अतिरिक्त मँहगाई भत्ता विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

क्रमश:--8

::00x8x00::

निर्णय लिया गया कि दिनाँक 1-12-78 से संशोधित दर से अतिरिक्त मँहगाई भत्ता प्राधिकरण के कर्मचारियों को शासकीय शासनादेश सं0: 5438/टी/9-1-79-93 सा/78, दिनाँक 30 जूलाई 1979 के अनुसार दे दिया जाये ।

विषय अँख्या: 19 प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि श्री ललित किशोर मेहरोत्रा सहायक अभियन्ता को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन स्वीकार किया जाता है । यह भी निर्णय लिया गया कि यह विशेष वेतन उन्हे उस दिनाँक से देय होगा जिस दिनाँक से उन्होने भूमि अर्जन का कार्य करना प्रारम्भ किया है ।

अध्यक्ष की अनुमति से
अन्य विषय :----- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का स्थान, तिथि एवँ समय निश्चित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण की बैठक एक माह छोड़कर तीसरे माह में अन्तिम शनिवार को 10-30 बजे पूर्वान्ह विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष में हुआ करेगी ।

यदि उक्त दिवस में अवकाश है तो उक्त बैठक अगले कार्य दिवस को उक्त समय व स्थान पर की जायेगी ।

ह0 पी0पी0खान्ना

ह0 डी0एस0वर्मा
(ध्यान सिँह वर्मा)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(पी0पी0खान्ना)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल /
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

एम/आरxxx

विषय सं0 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
2-	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	1- प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि डा0टन्डन की भूमि अर्जन से मुक्त न की जाये तथा उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25% भूमि निर्धारित दरों एवं शर्तों पर आवन्टित कर दी जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
		5- तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या 4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति बनाने हेतु रिपोर्ट दी जाये कि उक्त भूखण्ड के पास वाले भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन तथा लीज़ शर्तों में परिवर्तन किन परिस्थितयों में किया गया तथा यह भी बताया जाये कि क्या ऐसा और कोई प्रेसीडेन्स इस क्षेत्र में है ?	अनुपालन आख्या बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।
		6- नजूल सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व - परिषाद से निवेदन किया जाय कि तहसीलदार के अलावा अन्य स्टाफ़ - नायब तहसीलदार व क़ानून गो की भी नियुक्ति शीघ्र कर दें तथा शेष स्टाफ़ जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय से ट्रेन्ड लेखापाल, अमीन तथा सर्वेयर की भर्ती कर ली जाये तथा लिपिकों एवं चपरासियों की व्यवस्था भी शीघ्र कर ली जाये।	निर्णयानुसार राजस्व परिषाद एवं जिलाधिकारी से निवेदन किया गया है तथा स्टाफ़ को भर्ती करने की कार्यवाही की जा रही है ।
		8- प्राधिकरण के अधिकारियों को वाहन व्यक्तिगत प्रयोग में लाने के लिये हाल में जारी किये गये शासनादेशानुसार कार्यवाही की जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः---

	12- प्राधिकरण की योजनाओं के लिये भवनों के निर्माण एवं भूखण्डों के विकास हेतु अलीगंज योजना के अतिरिक्त अन्य योजनाओं में बनने वाले भवनों/भूखण्डों के विकास के लिये शीघ्र ही ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किया जाये ।	निर्णयानुसार मोतीझील एवं कानपुर रोड योजना के लिये भी हडको को ऋण आवेदन पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं ।
	15- प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं/वास्तुविदों/नियोजकों को पोस्ट-ग्रेज्युएट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि डिप्लोमा होल्डरों को 50/-रुपये तथा डिग्री होल्डर्स को 100/-रुपये एलाउन्स दिया जाये ।	तद्नुसार पालन किया जायेगा ।
	20- अभियन्त्रण खण्डों के लिये चार जीपों के क्रय हेतु शासन से एक्स-पोस्ट फैक्टो स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।	तद्नुसार शासन से निवेदन किया गया है ।
4- मोतीझील योजना में प्रस्तावित 264 अल्प आय वर्ग के भवनों में से 60 का निर्माण कार्य।	मकान की कीमत को नियन्त्रित रखने के लिये एक सेल का गठन किया जाये जो आवास विकास परिषद तथा सी0बी0आर0आई0 रुड़की से विचार विमर्श करके मकानों की कीमत को नियन्त्रित करने के लिये अध्ययन करें ।	तदानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
5- अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में ।	प्राधिकरण द्वारा एक उपसमिति गठित की गई जिसमें उपाध्यक्ष श्री राम मणि पाण्डेय, उपसचिव वित्त तथा श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, विकास प्राधिकरण सदस्य नामांकित किये गये तथा उक्त उपसमिति लीज़रेन्ट सम्बन्धी मामलों पर विचारविमर्श करके अपनी रिपोर्ट दे ।	उपसमिति की एक बैठक हो चुकी है तथा शीघ्र ही अगली मीटिंग करके रिपोर्ट दी जायेगी।
6: हाता रसूल खाँ योजना में उ0प्र0 जलनिगम को जलाशय के निर्माण हेतु भूमि का दिया जाना ।	विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 द्वारा गठित उपसमिति की रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
7: प्राधिकरण के कर्मचारियों के भविष्यनिधि के पुराने लेखों का पूर्ण करना ।	निर्णय लिया गया कि यह कार्य अक्तूबर 79 तक पूर्ण कर लिया जाये ।	कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सका, पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

क्रमशः:---

8- लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 विषय संख्या 29, शमन-शुल्क के निर्देश लागू किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार दो सदस्यीय समिति की आख्या पर विचार ।	प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10-10-77 द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति द्वारा प्रस्तुत शमन शुल्क की दरों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में वैधानिक राय लेकर दरें शासन के स्वीकृतार्थ भेजी जायें ।	तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।
9- लखनऊ के कुछ प्रमुख पार्कों में "ओपेन एयर रेस्टोरेन्ट" की स्थापना ।	ग्लोबपार्क, लिम्ब सेन्टर के सामने पार्क, शहीद पार्क व पतंग वाले मैदान पार्क में रेस्टरां लगाने हेतु आये हुए उच्चतम आफ़र स्वीकार किये गये ।तथा कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई ।	तदानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
10-कैटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।	कुर्सी रोड पर स्थिति 600 एकड़ भूमि में से केवल 20 एकड़ भूमि पर कालोनी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये । तथा कामधेनु नगर की संशोधित योजना प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाये । हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी बनाने हेतु प्रस्तावानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाये ।	निर्णयानुसार कुर्सी रोड पर 20 एकड़ भूमि पर कैटिल कालोनी की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा रही है और संशोधित योजना तैयार कराई जा रही है । हरदोई रोड पर कैटिलकालोनी की स्थापना के लिये विवरण तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही अर्जन हेतु जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा ।
11-छितवापुर व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के सम्बन्ध में ।	आइटम वाइज़ ओपेन टेन्डर आमन्त्रित किये जाये तथा निवेदित निम्नतम धनराशि के आधार पर राजकीय-निर्माण निगम से निगोशियेशन किया जाये ।	छितवापुर व्यवसायिक प्रतिष्ठान के निर्माण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार मेसर्स वास्तुआखा को [illegible] पत्र भेजा जा रहा है । उक्त फर्म से निविदा सम्बन्धी विवरण प्राप्त होने के पश्चात निविदायें माँगी जायेंगी । प्रस्ताव कार्यसूची में प्रस्ताव सं0:12 द्वारा प्रस्तुत है ।

क्रमशः:--

12- नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।	स्थगित	प्रस्ताव क्रमसंख्या:6 पर पुन: प्रस्तुत है ।
13- लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन व्दारा स्वीकृत रू0 250 लाख सीड केपिटल के प्रतिदान हेतु निक्षेपनिधि (सिन्किंग फण्ड) की स्थापना के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि शासन व्दारा स्वीकृत 250 लाख सीड केपिटल के प्रतिदान हेतु प्रस्तावित तालिकानुसार निक्षेपनिधि स्थापित की जाये ।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है ।
14- अलीगँज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाले हार्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर महापालिका के प्रस्ताव स0 183 दिनाँक 10-3-65 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त फार्म का कब्ज़ा विशेष भूमि - अध्यप्ति अधिकारी से प्राप्त कर लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि हर्टिकल्चर विभाग को उक्त फार्म के बदले में अलीगँज योजना के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में से उतनी ही भूमि दे दी जाये ।	अलीगँज योजना में हर्टिकल्चर फार्म का कब्ज़ा लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।
16-चेतना मदित मस्तिष्क बाल विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि ।	निर्णयानुसार विद्यालयों को भूमि आवन्टन हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार विमर्श के लिये स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, ज़िलाधिकारी, लखनऊ एवं श्री एम0ए0लारी, सदस्य, विकास प्राधिकरण, सदस्य है ।	स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हो चुकी है तथा अगली बैठक में स्क्रीनिंग ली जा रही है ।
17-विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	दे दिया गया । तथा हाल में प्राप्त शासनादेश के अनुसार आख्या विचारार्थ विषय स0: 16 पर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

क्रमश:----

18-	अतिरिक्त मँहगाई भत्ता विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	दे दिया गया ।
19-	प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री ललित किशोर मेहरोत्रा को 50/- प्रतिमाह विशेष वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।	दे दिया गया ।
20-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय : ----------		
	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक का स्थान, तिथि एवं समय निश्चित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि बैठक एक माह छोड़कर तीसरे माह में अन्तिम शनिवार को 10-30 बजे पूर्वान्ह विकास प्राधिकरण के सभा-कक्ष में हुआ करेगी ।	तदानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

=====:::: 000 :::: =====

एम/आर xxx

विषय सं० 2.

[illegible] : दिनांक 1.4.79 [illegible] 31.10.79 [illegible]

क्र.	योजना का नाम	सेक्टर	भूखण्डों की संख्या	प्रगति प्रतिशत			अवशेष प्रतिशत	टिप्पणी
				1.4.79 को	1.4.79 से 31.10.79 तक	संकलित प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	कानपुर रोड नगर प्रसार योजना	आई	533	39	22	61	45	भूखण्डों के निस्तारण तक आगे का कार्य रोक दिया गया है।
		ई	900	–	21	21	79	
2-	अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना	डी	415	70	15	85	15	बिजली की लाइन स्टार्म वाटर ड्रेन तथा कुछ पार्कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
		एफ	122	–	40	40	60	सभी विकास कार्य प्रगति पर है।
		जी	494	80	5	85	15	विकास कार्य प्रगति पर है।
		एच	635	90	5	95	5	कुछ सड़कों की प्रीमिक्सिंग शेष है।
		आई	442	70	15	85	15	के0डी0 ड्रेन, कुछ सड़कों एवं पार्कों का निर्माण कार्य शेष है।
		जे	708	80	5	85	15	के0डी0 ड्रेन का कार्य प्रगति पर है।
		के	321	50	25	75	25	बिजली पानी की लाइन व के0डी0 ड्रेन के कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है।
3-	अलीगंज योजना, प्रथम चरण -	ए	80	70	20	95	5	इस सेक्टर में अवशेष सड़कों एवं पार्कों का निर्माण प्रगति पर है।
		बी	825	70	15	90	10	इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़कों का कार्य प्रगति पर है।
		सी	769	70	10	85	15	इस सेक्टर में कुछ अपूर्ण आन्तरिक सड़कों, पार्कों एवं सीवर का कार्य प्रगति पर है।
		सी/एस	99	40	5	45	55	इस सेक्टर में नाली, सीवर के कार्य अवशेष है।
		ई	222	75	15	90	10	कुछ पार्क एवं अपूर्ण सड़कों का कार्य शेष है।

ख. नगर के अन्तर्गत आवासीय स्वीकृत भवनों की प्रगति :-

-: प्रगति विवरण :-

31.10.79 तक

क्र० सं०	योजना का नाम	चरण	भवनों का प्रकार	संख्या	1-4.79 को प्रगति प्रतिशत	1.4.79 से 31.10.79 तक प्रगति प्रतिशत	सम्पादित प्रगति %	अवशेष प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	राजपुर रोड योजना	प्रथम	——	——	——	निल	——	——	
2-	[illegible] योजना	द्वितीय	एल०आई०जी०	80	52	30	90	10	
			एम०आई०जी०	120	6	74	80	20	
			ई०डब्लू०एस०	400	56	-	60	40	
3-	[illegible] दुकानें एवं [illegible]	तृतीय	——	——	——	निल	——	——	
4-	[illegible] योजना	चतुर्थ	एच०आई०जी०	25	80	20	100	निल	अधिकांश हस्तान्तरण हो गया है ।
			एम०आई०जी०, को.	48	40	40	80	20	
			" " " "	48	25	20	45	55	
			एल०आई०जी०	25	92	निल	100	-	
			ई०डब्लू०एस०	48	85	15	100	निल	अधिकांश निर्माण हो रहा है ।
5-	[illegible] आवास योजना	पंचम	एच०आई०जी०	120	46	52	98	2	भवनों को अधिकांश का निर्माण हो रहा है ।

मासिक लक्ष्य उपलब्धि विवरण 1979-80

बजट लक्ष्य : 829.94 लाख (निर्माण कार्य)

माह	लक्ष्य रु0 लाखों में	लक्ष्य प्रतिशत	उपलब्धि रु0 लाखों में	उपलब्धि प्रतिशत	प्रोग्रेसिव उपलब्धि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल	8.30	1 %	32.53	391.93%	-	
मई	16.61	2 %	17.59	105.90	201.2 %	
जून	24.89	3 %	21.26	85.42	143.3 %	
जुलाई	33.20	4 %	27.65	83.28	119.3 %	
अगस्त	41.49	5 %	28.72	69.39	100.3 %	
सितम्बर	41.49	5 %	-	-	-	
अक्टूबर	83.00	10 %	49.48	39.75	77.40 %	
नवम्बर	124.49	15 %	-	-	-	
दिसम्बर	124.49	15 %	-	-	-	
जनवरी	124.49	15 %	-	-	-	
फरवरी	124.49	15 %	-	-	-	
मार्च	83.00	10 %	-	-	-	
योग:	829.94	100 %	177.23			

योजनाओं का प्रगति विवरण 31-10-1979.तक

(वित्तीय) (रुपये लाखों में)

क्रम सं0 योजना का नाम	भूमि अर्जन बजट प्राविधान	भूमि अर्जन उपलब्धि	भूमि अर्जन प्रतिशत	भूमि विकास बजट प्राविधान	भूमि विकास लक्ष्य 31-10-79	भूमि विकास उपलब्धि	भूमि विकास बजट का प्रतिशत	भूमि विकास 31-10-79. तक के लक्ष्य का प्रतिशत	भवन निर्माण बजट प्राविधान	भवन निर्माण लक्ष्य 31.10.79.	भवन निर्माण उपलब्धि	भवन निर्माण बजट का प्रति0	भवन निर्माण 31.10.79 तक के लक्ष्य का प्रति0
1 – 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1- कानपुर रोड योजना	120	–	–	66	20	15.00	22.73	75	33.50	10.00	4.3	12.83	43
2- अलीगंज योजना	60	–	–	122	36.5	42.46	34.80	116.00	167.55	30.3	67.90	40.5	135
3- अन्य योजनायें	20	–	–										
4- नैपियर रोड भाग-3	20	–	–	30.79	[illegible]	4.49	14.5	[illegible].00	15.00	3.00	–	–	–
5- मोती झील योजना	–	–	–	10.50	3	4.63	45	131	37.00	11.0	15.95	4.3	154
6-विकास की पुरानी योजनायें	–	–	–	12.21	3.7	7.10	58	190	–	–	–	–	–
7- कामर्शियल काम्पेलेक्स :													
1- पुराना डाकखाना	–	–	–	–	–	–	–	–					
2- नक्खास ××	–	–	–	–	–	–	–	–	10.00	3	5.17	52	172
3- आर0टी0ओ0काम्पलेक्स×××	–	–	–	–	–	–	–	–	2.00	0.5	–	–	–
4- छितवापुर ××××	–	–	–	–	–	–	–	–	20.00	4.0	–	–	–
5- सिण्डर्स डम्प	–	–	–	–	–	–	–	–	20.00	4.0	–	–	–
6- अलीगंज योजना×××××	–	–	–	–	–	–	–	–	5.00	1.5	2.78	56	185
7- अन्य योजनायें ××××××	–	–	–	–	–	–	–	–	15.00	3.0	–	–	–
8- मलिन बस्ती सुधार योजना	–	–	–	+9.12	5	3.24	.17	65	8.00	2.0	–	–	–
9- मलिन बस्ती निपातन योजना		–	–		[illegible]	[illegible]			16.27	5.0	0.90	5	18
योग:-	220	–	–	250.62	80.60	82.13	30%	102%	349.32	92.3	95.10	28.60%	103

× भूमि अर्जन पर व्यय दिसम्बर,1979 के बाद किया जायेगा क्योंकि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास 232 लाख धनराशि अवितरित अभी भी पड़ी हुई है ।

× × पूर्व निर्मित दुकाने अभी नहीं उठी है इसलिए और दुकानों का निर्माण अभी नहीं किया जा रहा है ।

××× भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है ।

×××× विषय ,लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है ।

××××× आगणन बनाया जा रहा है ।

×××××× 17 कियास्क बन गये हैं । अन्य के लिए स्थान मिलने पर निर्माण कराया जायेगा

- :0: -

प्राधिकरण के आय की स्थिति दिनांक 31-10-79 तक
=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

(रू० लाख में)

आय के मद	बजट प्राविधान	वास्तविक आय	प्रतिशत
1-सामान्य आय	30·235	7·26	24%
2-भूमि की बिक्री	147·67	63·42	42·95%
3-भवनों की बिक्री	78·42	16·75	21·36%
4-दुकानों का किराया	26·66.	17·15	64·32%
5-प्रीमियम/अन्य आय	8·10	13·03	140·37%
	291·085	117·61	40·40%
सम्भावित ऋण/ अनुदान	508·87 (3·00 / 4·58)	–	–
	799·955	117·61	14·70%

प्रारम्भिक अवशेष 341.49 / 1141.445 — 341.49 / 459.10

over dues. position

एम/आरxxv

विषय सं०- 4 पृष्ठ सं०- 20

विषय :- अलीगंज आवास योजना में 25 एम०आई०जी० भवनों के निर्माण हेतु व्ययानुमान धनांक 12,03,825/- का तथा न्यूनतम निविदा धनांक 12,51,048.70 की स्वीकृति हेतु ।

- : 0 : -

उक्त कार्य हेतु दिनांक 27-6-79 को निविदा आमंत्रित की गई। दो निविदायें प्राप्त हुई जिनकी दरों की तुलना निम्न प्रकार है :-

	सर्वश्री मदरसन्स ऐण्ड सन्स	मास्मोपालिटन कं०
सिविल वर्क	75 प्रतिशत उच्च	85 प्रतिशत उच्च
सेनेटरी वर्क	100 प्रतिशत उच्च	110 प्रतिशत उच्च
इलेक्ट्रिक वर्क	ऐट पार	10 प्रतिशत उच्च

सर्वनिम्न निविदा सर्वश्री मदर सन्स ऐण्ड कम्पनी का है जिन्होंने दिनांक 3-7-79 को पत्र द्वारा अपनी दरों में कमी कर दी है । जिसके अनुसार सर्वनिम्न निविदा की स्थिति निम्न प्रकार से हो जाती है ।

सिविल वर्क :-

मद सं०-1 से 15 तक	100 प्रतिशत उच्च
मद सं० 16 से 41 तक	15.5 प्रतिशत उच्च
सेनिटरी वर्क	100 प्रतिशत उच्च
इलेक्ट्रिक वर्क	ऐट पार ।

उपरोक्त आधार पर गणना करने पर निविदा धनराशि रु० 12,51,048-70 आती है । जो वर्तमान दरों पर आधारित व्ययानुमान धनांक 12,51,427-70 से 0.03 प्रतिशत निम्न है । निविदादाता ने अपनी निविदा के साथ 12 शर्तें दी है जिनमें से केवल निम्न शर्तें मानने योग्य है ।

1- निविदा की वैधता 21 दिन होगी ।

2- कार्य की समस्त सीमेण्ट विभाग द्वारा वर्तमान इश्यू रेट पर देय होगी ।

3- नान-ऐरिशेबुल आइटम पर 75 प्रतिशत का सिक्योर्ड एडवान्स देय होगा परन्तु इस दशा में सारा सामान विभाग अपनी कस्टडी में रखेगा तथा ठेकेदार को इण्डेण्ट द्वारा इश्यू किया जायेगा ।

4- अन्तिम बिल का भुगतानकार्य सन्तोषजनक रूप से समाप्त होने के एक माह के अन्दर किया जायेगा ।

5- भवन का कब्जा आवण्टी को कार्य समाप्त होने के उपरान्त ही दिया जायेगा ।

6- विचलित मात्राओं का भुगतान चालित देयक में किया जायेगा ।

7- ईंटे तथा लोहा यदि विभाग में उपलब्ध हुआ तो क्रमशः 240/- प्रति हजार तथा रु० 3560/- प्रति एम०टी० की दर से इश्यू किया जायेगा ।

भवन निर्माण सामग्री एवं मजदूरी आदि की दरों में नित्य वृद्धि को देखते हुये सर्वश्री मदर ऐण्ड सन्स की निवेदित दरें उचित हैं ।

अतः 25 एम०आई०जी० भवनों के निर्माणार्थ धनांक 12,03,825/- का व्ययानुमान एवं इस कार्य हेतु सर्वश्री मदर सन्स ऐण्ड कम्पनी की सर्वनिम्न निविदा धनांक 12,51,048-70 उपरोक्त शर्तों सहित प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृत्यार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

अतः 25 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माणार्थ धनांक 12.03.825/- का व्ययानुमोदन एवं इस कार्य हेतु सर्वश्री ऋशदी कान्सट्रक्शन की सर्वनिम्न निविदा धनांक 12,48,720-50 उपरोक्त शर्तों सहित प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक स्वीकृत्यार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

- : 0 : -

दीक्षित /-

पा०नि०

विषय सं0- 5 पृष्ठ- 22 23

विषय :- अलीगंज योजना में 25 एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण (द्वितीय चरण, द्वितीय भाग)

- : 0 : -

उक्त कार्य हेतु निविदा दिनांक 4-5-79 को आमंत्रित किये गये दो निविदायें प्राप्त हुई, जिनकी दरों की तुलना निम्न प्रकार है :-

1- सर्वश्री	आदी कान्स्ट्रक्शन	यूनाइटेड बिल्डर्स
सिविल वर्क	120प्रतिशत उच्च	125 प्रतिशत उच्च
सेनिटरी वर्क	100प्रतिशत उच्च	125 प्रतिशत उच्च
इलेक्ट्रिक वर्क	ऐट पार	120 प्रतिशत उच्च

सर्वनिम्न निविदा सर्वश्री आदी कान्स्ट्रक्शन का है, जिन्होंने पत्र द्वारा अपनी दरों में कमी कर दी है, जिसके अनुसार सर्वनिम्न निविदा की स्थिति निम्न प्रकार हो जाती है :-

1- सिविल वर्क	110 प्रतिशत उच्च
2- सेनिटरी वर्क	51.1 प्रतिशत उच्च
3- इलेक्ट्रिक वर्क	ऐट पार ।

उपरोक्त आधार पर गणना करने पर निविदात्मक धनराशि रू0 12,48,720.50 आती है । निविदादाता ने अपनी निविदा के साथ 6 शर्तें दी है :-

1- काटी जाने वाली फरदर सिक्योरिटी ठेकेदार के द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में दी जायेगी । जिसे विभाग को मानना होगा ।

2- ठेकेदार कम से कम 25 भवनों का निर्मा ण करेगा ।

3- सीमेण्ट ठेकेदार को रू0 26.50 की दर से विभाग को देनी होगी ।

4- भवनों को पूरा करने का समय 6 महीने के स्थान पर 9 महीने होगा ।

5- ईंटा यदि दिया जाता है तो ठेकेदार को कार्यस्थल पर ही उपलब्ध करना होगा ।

6- निविदा की वैधता की अवधि दो माह होगी ।

उपरोक्त शर्तों के सम्बन्ध में निम्न संस्तुति की जाती है :-

1- निविदा शर्तों में सिक्योरिटी बैंक गारण्टी के रूप में लिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । विशेष परिस्थितियों में मेसर्स सरन कान्स्ट्रक्शन द्वारा छोड़े गये कार्य में बैंक गारण्टी मानने की संस्तुति की गयी थी । अत: जब तक इस सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं होते तब तक इस शर्त को माननेका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

2- मान्य है ।

3- सीमेण्ट इक्वीरेट रू0 26-50 ही है परन्तु यदि ठेकेदार खाली सीमेण्ट बैग वापस नहीं करता तो उसे 1/- प्रति बैग अतिरिक्त देना पड़ता है । इस प्रकार से सीमेण्ट का इक्वी रेट तो रू0 26-50 ही निविदा में लिखा है, ~~xxxxx~~ अत: इस शर्त की कोई मान्यता नहीं है ।

4- मान्य है ।

5- मान्य है ।

6- मान्य है ।

क्रमश:- - - - -2.

विषय संख्या: 6

विषय: नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=

नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय समस्या को दूर करने में प्राधिकरण निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है । किन्तु प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद की विभिन्न आवासीय योजनायें नगर से काफ़ी दूर बसायी जा रही हैं, क्योंकि नगर के मध्य में योजनाओं के विकास के लिये स्थान उपलब्ध नहीं हैं ।

2- प्राधिकरण की अलीगंज योजना एवं कानपुर रोड योजना जैसी वृहद योजनाओं के साथ मोतीझील आवास योजना, नैपियर रोड एवं पेपर मिल योजना आदि में भी विकास कार्य प्रगति पर हैं । प्राधिकरण द्वारा नगर की दूर बसी हुई इन विशाल आबादियों से चारबाग स्टेशन तथा अन्य योजनाओं का यातायात की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये तीव्रगामी वाहनों से जोड़ने के लिये आटो-रिक्शा की व्यवस्था किये जाने का विचार है ।

3- उपरोक्त योजना कार्यान्वित करने के लिये यूनाइटेड कामर्शियल बैंक के मैनेजर से सम्पर्क किया गया । बैंक निम्न शर्तों पर ऋण देने पर सहमत है :-

क- यूनाइटेड कामर्शियल बैंक अपनी योजना के अनुसार प्रियारिटी स्कीम में 100 प्रार्थियों को आटो-रिक्शा क्रय करने हेतु ऋण उपलब्ध करायेगा । कुल मूल्य का 25 प्रतिशत सम्बन्धित प्रार्थियों को अग्रिम के रूप में जमा करना होगा । शेष 75 प्रतिशत, 11 प्रतिशत ब्याज की दर से बैंक आटो-रिक्शा क्रय करने के लिये प्रार्थियों को उपलब्ध करायेगा ।

ख- बैंक सम्पूर्ण ऋण की धनराशि 11 प्रतिशत ब्याज की दर से सम्बन्धित प्रार्थियों से 3 वर्ष में मासिक आसान किश्तों में वसूल करेगा ।

ग- बैंक सम्बन्धित प्रार्थियों से आवश्यकतानुसार ऋण की गारण्टी, आवश्यक लिखा-पढ़ी, गाड़ियों को हाइपोथिकेट करना या अन्य सुरक्षात्मक कार्यवाही स्वयं करेगा और साथ ही बैंक दिया गया ऋण प्रार्थियों से उपबन्धों के अनुसार स्वयं वसूल करेगा ।

घ- लखनऊ विकास प्राधिकरण जो भी अग्रिम धन प्रार्थियों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायेगा, बैंक अपने ऋण की किश्तों के साथ-साथ 11% ब्याज की दर से 3 वर्ष की मासिक किश्तों में वसूल करेगा और प्रत्येक माह की आखारी तारीख़ को प्राप्त की हुई ऋण की किश्त एवं ब्याज प्राधिकरण के खाते में हस्तान्तरित कर देगा ।

क्रमशः--

~~25~~
24

3.- लखानऊ विकास प्राधिकरण व्दारा प्राथियों को दिया गया अग्रिम धान जो बैंक वसूल करेगा, वह बैंक 3 वर्षों के लिये रकरिंग डिपाज़िट के रूप में अपने पास रखोगा और इस पर जो भी ब्याज आयेगा वह प्राधिकरण के खाते में रहेगा ।

4- उपरोक्त से स्पष्ट है कि लखानऊ विकास प्राधिकरण को सम्पूर्ण योजना का केवल 12.5 प्रतिशत प्राथियों को अग्रिम धान के रूप में बैंक में जमा करना होगा, जो 3 वर्ष के पश्चात 11 प्रतिशत ब्याज सहित प्राधिकरण को वापस हो जायेगा ।

5- इस प्रकार 100 गाड़ियों के क्रय करने के लिये लगभग 16 लाख रूपये व्यय होगें, जिसमें बैंक सम्बन्धित प्राथियों से 4 लाख रूपये अग्रिम धानराशि प्राप्त करना चाहेगा । उपरोक्त 4-00 लाख के 50 प्रतिशत अँश के रूप में प्राधिकरण अपने कोष से सम्बन्धित प्राथियों को सहयोग देगा और यह धान उपरोक्त के अनुसार 3 वर्ष तक लखानऊ विकास - प्राधिकरण के खाते में 11 प्रतिशत ब्याज सहित जमा होता रहेगा ।

6- समाचार पत्रों के माध्यम से वाञ्छित प्राथियों से प्रार्थनापत्र माँगने के पहले बैंक व्दारा प्राथियों की जानकारी के लिये वाछिँत विवरण प्राप्त करके उपरोक्त का समावेश करते हुए इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थनापत्र प्राप्त किये जायेगें और उनमें से 100 प्राथियों का चयन किया जायेगा । उक्त 100 प्राथियों के नाम यूनाइटेड कामर्शियल बैंक को अग्रिम कार्यवाही के लिये भेज दिये जायेगें । बैंक अपनी आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करायेगा । इस बीच प्राधिकरण मेसर्स बजाज आटोज़ व अन्य स्थानों से सम्पर्क करके 100 तीन पहिये वाले आटो-रिक्शा की पूर्ति की व्यवस्था करेगा ।

7- उपरोक्त विवरण प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

===::: 000 :::===

एम/आरxxx

विषय संख्या : 7 पृष्ठ सं0: 25 ~~26~~

विषय: सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय योजना द्वितीय चरण में जनसंख्या का घनत्व 243 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6% तथा मार्गों की चौड़ाई 15 फिट तथा 20 फिट रखने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=

अलीगंज योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एल" में मुख्यतया समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आवासीय सुविधायें तथा प्लाटों का प्राविधान किया गया है जिसके कारण अलीगंज योजना के प्रस्तावित घनत्व 100 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक अर्थात 243 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व हो रहा है साथ ही चूंकि यह कोशिश की गई है कि सभी सुविधाओं को केन्द्रित किया जाय इसलिये पार्क तथा स्कूल का प्राविधान तथा दूकानें आदि मध्य में रखी गयी हैं तथा पार्क का क्षेत्रफल 10% से कम अर्थात 6% रखा गया है चूंकि नियोजन " नेवरहुड प्लानिंग" के आधार पर की गई है इसलिये विकास व्यय घटाने के लिये ई0डब्लू0एस0 के मकानों तथा साइट एण्ड सर्विसिज़ के प्लाटों को 15 फुट के "पाथ वेज़" से जोड़ा गया है , इन सुविधाओं को देखते हुए निम्नलिखित विषयों पर छूट की अनुशंसा की जा रही है ।

1- घनत्व में 100 व्यक्ति प्रति एकड़ से 243 (आबादी) प्रति एकड़ बढ़ाने के सम्बन्ध में । ✓

2- पार्क का प्रतिशत 10% से घटाकर 6% करने के सम्बन्ध में । ✓

3- पाथ वेज़ 15 तथा 20 फुट रखने के सम्बन्ध में । ✓

==== :::: 0000 :::: ====

एम/आरxxx

approved

विषय संख्या: 8 पृष्ठ सं0: 27

विषय: अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखने की स्वीकृति ।

=x=x=x=x=x=x=

अलीगंज आवासीय योजना द्वितीय चरण के सेक्टर "एम" में आवासीय भवनों तथा प्लाटों का प्राविधान किया गया है जिसमें कि एम0आई0जी0 भवनों, एल0आई0जी0 भवनों, ई0डब्लू0एस0 भवनों तथा साइट ऐण्ड सर्विसेज़ के प्लाटों का प्राविधान किया गया है । इस योजना में समाज के दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिये सेक्टर "एम" में भवनों तथा प्लाटों का प्राविधान किया गया । साथ ही नेबरहुड प्लानिंग के आधार पर सभी सुविधाओं को केन्द्रिभूत करने की कोशिश की गयी है। नेबरहुड पार्क , दुकानें, स्कूल आदि का प्राविधान इस आवासीय योजना में है ई0डब्लू0एस0 के छोटे भवनों तथा प्लाटों की संख्या अधिक होने के कारण जनसंख्या के घनत्व भी महायोजना में इस क्षेत्र के लिये प्रस्तावित घनत्व से अधिक है । साथ ही इस योजना में विकास व्यय को कम करने के लिये 15 फुट के पाथवेज़ ई0डब्लू0एस0 भवनों तथा प्लाटों के लिये दिये गये हैं ।

इस आवासीय कालोनी में सुविधाओं तथा भवनों और प्लाटों के प्राविधानों को देखते हुए निम्न छूट की अपेक्षा प्राधिकरण से की जानी है ।

1- जनसंख्या के घनत्व 100 व्यक्ति प्रति एकड़ से बढ़ाकर 285 करने की छूट ।

2- पाथवेज़ 15 फुट रखने की छूट ।

3- पार्क का एरिया 10% से घटाकर 6.30% रखने की छूट ।

====::::: 000 :::::====

एम/आर xxx

विषय संख्या : 9 पृष्ठ स0: ~~28~~ 27

विषय: अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण के "एन" सेक्टर में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखने के सम्बन्ध में।

=x=x=x=x=x=x=

अलीगंज आवासीय योजना में द्वितीय चरण में मुख्यतया जो विकास हो रहा है वह समाज के दुर्बल आय के वर्ग के लोगों के लिये विकास किया जा रहा है जिसमें कि मुख्यतया ई0डब्लू0एस0 के भवनों तथा साइट ऐण्ड सर्विसिज़ के भूखण्डों का प्राविधान किया गया है तथा विकास व्यय को घटाने की भरपूर कोशिश की गयी है इसके लिये नियोजन नेवरहुड प्लानिंग के आधार पर किया गया है जिसमें कि सभी सुविधाओं को केन्द्रीभूत करने की कोशिश की गई है तथा मध्य में एक बड़े पार्क का प्राविधान किया गया है तथा पार्क का क्षेत्रफल 10% से घटाकर 8% रखा गया है।

साथ ही चूंकि अधिकाधिक छोटे छोटे भूखण्ड तथा भवन समाज के दुर्बल आय के वर्ग के लोगों के लिये बनाये गये हैं। इसलिये इस क्षेत्र की प्रस्तावित जनसंख्या के घनत्व को बढ़ाकर 100 व्यक्ति प्रति एकड़ से 373 व्यक्ति प्रति एकड़ कर दिया गया है तथा विकास व्यय को घटाने के लिये ई0डब्लू0एस0 भवनों तथा साइट एण्ड सर्विसिज़ के प्लाटों को 15 फुट के पाथवेज़ में जोड़ा जाना है।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त सभी सुविधाओं को देखते हुए निम्न पर छूट की अनुशंसा की जानी है कि :-

1- जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रतिएकड़ से बढ़ाकर 373 व्यक्ति प्रति एकड़ करने के सम्बन्ध में।

2- पार्क का क्षेत्रफल 10% से 8% करने के सम्बन्ध में।

3- पाथवेज़ 15 फुट रखने के सम्बन्ध में।

=====:::: 000 ::::=====

एम/आर xxx

विषय संख्या: 10 पृष्ठ सं0: 28

विषय: ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइन्ग तैयार करने के लिये रू02·34 लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=y=

ओल्ड पोस्ट आफिस कामर्शियल काम्पलेक्स की आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश से बनवाने का विषय विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25-7-75 में लिया गया था । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने प्रीलिमिनरी ड्राइंग बनाने हेतु रू0 87,716/- के फ़ीस की माँग की थी । प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 25-7-75 में यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय चूकिं विकास प्राधिकरण का यह प्रारम्भिक चरण है, अत: मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा माँगी गई नक्शो आदि बनाने की फीस रू0 87,716/- की छूट दे दी जाय । प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार विभागीय पत्र दिनाँक 20-11-75 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारक दिनाँक 28-7-76 द्वारा शासन से यह अनुरोध किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा माँगी गई धनराशि से मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें । शासकीय पत्र संख्या- 5726/37-3-109एन0ए0/75 दिनाँक 16-9-76 द्वारा यह सूचित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के देय शुल्क से मुक्त किया जाना एक दृष्टान्त बन जाने की सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप अन्य स्थानीय निकायों से भी इस प्रकार की प्रार्थना प्राप्त हो सकती है । लखनऊ विकास प्राधिकरण को काम्पलेक्स का नक्शा तैयार करने के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अपने पत्र दिनाँक 30-6-76 द्वारा यह सूचित किया कि स्केच तथा वर्किंग ड्राइन्ग तैयार करने की फ़ीस शासकीय आदेश संख्या - 1277 क/37-145 - §टी0पी0सी0§/65 दिनाँक 5-12-69 के अनुसार अनुमानित लागत की 2·75 प्रतिशत होगी तथा उन्होने रू0 2,34,000/- की माँग की थी । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को 15,000/- का आशिंक भुगतान दिसम्बर 1976 में तथा रू0 87714/- का चेक दिनाँक 13-3-79 को भेजा गया । इस प्रकार कुल रू0 1,02,714/- का भुगतान किया जा चुका है । उन्होने अपने पत्र संख्या- 7460/22/टीपी/लखनऊ ओल्ड पोस्ट आफ़िस/टी सी पी/77 दिनाँक 17-6-77 द्वारा पूरा भुगतान किये जाने की माँग की है । चूकिं शासन द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि उक्त फीस से प्राधिकरण को छूट दिया जाना सम्भव नहीं है, अत: प्राधिकरण द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को ओल्ड पोस्ट आफ़िस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइन्ग बनाने के लिये सम्पूर्ण फ़ीस रू0 2·34 लाख के कुल भुगतान की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करना प्रस्तावित है ।

=====::::: 0000 :::::=====

एम/आर xxx

<u>विषय</u>: लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति ।

=x=x=x=x=x=

लखनऊ शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्र का कोई वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र उपलब्ध नहीं है । विभाग के विभिन्न कार्यों में शहर के सही मानचित्र की प्राय: आवश्यकता पड़ती रही है, इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु समय समय पर विभिन्न संस्थाओं को मानचित्र उपलब्ध करने हेतु आग्रह किया जाता रहा है परन्तु अभी तक कहीं से भी शहर के सही मानचित्र प्राप्त नहीं हो सके अत:आग्रह है कि शहर का सर्वे कराने हेतु अनुमति प्रदान करने एवं जो संस्थायें यह कार्य करती हैं उनसे सम्पर्क स्थापित कर अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये जायें ।

====:::: 000 ::::====

एम/आर xxx

विषय स0: 12

विषय: मे0 वास्तुआँक को छितवापुर कामर्शियल काम्पलेक्स के ड्राइन्ग आदि तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान आदि के विषय में ।

=x=x=x=x=x=

छितवापुर व्योपारिक कम्पलेक्स के लिये प्राधिकरण के निर्णयानुसार " ओपेन टेन्डर" प्राप्त करने हेतु आर्किटेक्टुरल, स्ट्रक्चुरल डिज़ाइन तथा स्पेसिफिकेशन एवं बिल आफ क्वानटिटी प्राप्त करने हेतु मेसर्स वास्तुआँक से विचार विमर्श किया गया । वे इस विषय पर सहमत हुए कि वे उपरोक्त कार्य को 2% फीस पर करेगें । इसमें इन्होने यह भी कहा कि यह फीस इसी परिस्थिति में है यदि कार्य उत्तर प्रदेश निर्माण निगम व्दारा कराया जाता है । परन्तु यदि कार्य अन्य एजेन्सी/ठेकेदारों से कराया जाये तो पूरे व्यय का 3% फीस मे0 वास्तुआँक ने चाहा है अस्तु प्रस्तावित है कि उपरोक्त दोनों विकल्पों को स्वीकार करने की कृपा करें । मेसर्स वास्तुआँक को भेजे गये पत्र तथा उसमें साथ में लगाये गये शिड्युल्स की प्रति संलग्न है ।

= = = : : : 000 : : : = = =

एम/आर xxx

~~32~~
31

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रेषक:- VICE CHAIRMAN
लखनऊ विकास प्राधिकरण
6-जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,
लखनऊ।

संख्या- - - - - - -

दिनांक - - - - - -

सेवा मे,
M/S.Vastuankh
- - - - - - - - - -,
7, Khyali ganj,
LUCKNOW.
- - - - - - - - - -,

नत्थी - - - - - -
Two(Sch.X&Y)

विषय

CHITWAPUR COMMERCIAL COMPLEX,LUCKNOW
****

Sir,

With reference to your offer under letter dated 8.9.79 I am to inform that you have been appointed as consulting architect for carrying out the detailed architectural, structural and other drawings,specifications and bill of quantities etc. necessary for executing the winning design submitted by you. As per your offer you will be paid 2% of the total cost of the building as the fee for this work. This will include services under schedule 'X' to this letter. In case U.P. R.N.N. does not take up execution of the project for any reasons and the Authority requires your services for providing other services as detailed to schedile 'Y' of this letter, you will be offered separately a fee of 1% of the total cost. This will be confirmed after Authority's approval.

Your's faithfully,

Sd/ B.K.Chaturvedi
(B. K. CHATURVEDI)
VICE- CHAIRMAN.

approved

M/R ***

ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE 'X'

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1. SKETCH STAGE

a. Take clients instructions regarding the requirements of the project as whole.
b. Visit site.
c. Prepare, in agreement with the client, a programme of accomodation and requirements.
d. Examin legislation, codes and standards as they effect the project.
e. Obtain from the client or prepare at Client expence a correct survey plan of the site with levels and complete information. The survey shall include all the necessary data related to existing public utility services, pavements, road widening, adjoing propeties, Party walls, and boundaries.
f. Prepare preliminary concept sketches to explain the Architect's general understanding of the clients requirements and the outline of his plan including a preliminary estimate of the order of the cost involved.
g. Discuss the concept sketched with client and make such modifications as may be necessary to satisfy the client and obtain his approval.

2. PRELIMINARY STAGE.

a. Prepare (with the assistence of consultents as necessary) preliminary scheme, report and estimate of cost in sufficient detail to enable the Architect to proceed with the working drawings stage of the project.(Estimate prepared here will be intended for clients budget forecasting)
b. Obtain client approval of the preliminary scheme, report and estimate of cost.
c. Prepare plans as necessary for approval for approval of local Authority and assist client in obtaining approval of local Authority.
d. Obtain from the client or prepare at clients Expence test site, boring, soil test and such other tests required to provide essential design data from sub-soil conditions.
e. Obtain from the client or his surveyer information on all the existing services and prepare a existing services plan and advice any shifting if necessary.

3. WORKING DRAWING STAGE

I. Prepare designs and plans and decide type of foundations.
II. Prepare and complete with help of structural Engineer all architectural and structural working drawings including.
    a. working drawing for all floors.
    b. details and sections.
    c. details of doors, windows, openings and glazings.
    d. details of false ceilings if any.
III. prepare detailed specifications for all architectural and structural works.
IV. prepare and complete with the help of all consulting Engineers working drawings and specifications for electrical, water supply, sanitary installations, lifts, firefighting, air conditioning, layout of telephone conduit drainage, and other engineering works including:

Contd...

a. Electrical circuit plans.
b. Substaion capacity.
c. Specification of Mains and Sub-main.
d. System of distribution of electrical meters and water supply meters.
e. System of sewers and garbage disposal.
f. Details of toilets.
g. Water storage tanks-overhead and under ground.
h. System of calculating the rates.
i. Type, make and capacity of lights and esclators.
j. System of fire fighting, equipments, control room and details of dry and wet risers.
k. Traffic circulation.
l. Parking , its control and levies.

V. Prepare and coordinate the Architectural, Engineering and services work, complete working drawings, schedules, specifications and bill of quantities.

4. CONSTRUCTION STAGE.

1. Supply of the contractor sufficient copies of Architectural and structural drawings, schedule and specifications.

SUPERVISION STAGE

1. Give supervision only when requested by the Client in writing and render him advice as referred to by him.

M/R ***

ADDITIONAL ARCHITECTS SERVICES-SCHEDULE'Y'

* *

WORKING DRAWING STAGE

1. Advice client and obtain approval on the form of contract and method of placing the main contract.

2. Provide the surveyers and other consultants with all the necessary information to allow them to perform their specialist work.

3. Discuss with the client and obtain approcal for the procedure to be adopted with nominated subcontractors and nominated suppliers.

4. Prepare the necessary schedules and document and and undertake the agreed procedure in relation to nominated subcontractors and suppliers.

5. Prepare the necessary schedules and documents and undertake the agreed procedure in relation to all materials and goods.

6. Prepare the approved form of contract.

M/R ***

विषय सं० 13 पृष्ठ सं० ~~36~~ 35

विषय: सिल्डर्स डम्प योजना के अर्न्तगत निर्मित की गई 38 दुकानों के निस्तारण विषयक आख्या ।

आलमबाग क्षेत्र में (सिल्डर्स डम्प) योजना के अर्न्तगत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 38दुकानों का निर्माण किया गया है । कुछ दिन पूर्व सौन्दर्यीकरण योजना के अर्न्तगत महापालिका द्वारा उक्त क्षेत्र के दुकानदारों को आलमबाग से हटाया गया था जिसकी कोई सत्यापित सूची लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं हो पा रही थी । अतः तत्कालीन सचिव ने अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 128/सचिव विकास प्राधिकरण दिनांक 15-6-79 द्वारा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर से विस्थापित व्यवसायियों की सूची मांगी थी । अतिरिक्त जिला-मजिस्ट्रेट नगर ने इन दुकानदारों के यूनियन के मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष तथा अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क करके जो सूची निर्मित की है वह संलग्न है ॥

इन दुकानों के किराये की कास्टिंग करने पर रु०3.20प्रति वर्ग फुट किराया आता है जिसको दुकान के क्षेत्रफल से गुणा करने पर किराया काफी हो जाता है । अतः यह उचित होगा कि किराये की दर में कमी की जावे तथा कमी की गई धनराशि की पूर्ति प्रीमियम लेकर की जावे । अतः निम्नलिखित तीन विकल्प प्रस्तावित हैं :-

दुकान का प्रकार	दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)	दुकानों की संख्या	प्रीमियम रु०1.50प्रति वर्ग फुट किराया		रु०2.0प्रति वर्ग फुट किराया		रु०2.5प्र०व०कि०	
			प्रति दुकान	कुल प्रीमियम	प्रति दुकान	कुल प्रीमियम	प्रति दुकान	कुल प्रीमियम
			रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
टाइप-1	92.96	10	6000/-	60000/-	5000/-	50000/	3000/	30000/-
टाइप-2	108.46	8	7000/-	56000/-	6000/-	48000/	3 500/	28000/-
टाइप-3	145.26	8	9000/-	72000/-	7000/-	56000/	4000/	32000/-
टाइप-4	150.64	8	10000/-	80000/-	8000/-	64000/	4500/	36000/-
टाइप-5	215.20	4	14000/-	65000/-	11000/-	44000/-	6500/	26000/-

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह भी प्रस्तुत करना है कि दुकानों का आवंटन किस प्रकार किया जायें यानी कि प्रीमियम नीलाम करने की विधि अपनाई जायें अथवा सील्ड आफर्स प्राप्त कर लिये जावे और किराया एवं प्रीमियम उपरोक्तानुसार रखा जायें ।

विस्थापितों को किस दर पर दुकानें आवंटित की जावें उनसे प्रीमियम लिया जावे अथवा नहीं यदि प्रीमियम लिया जावे तो कितना ?

कृपया प्राधिकरण उपरोक्त विषय पर निर्णय लेने का कष्ट करें ।

37
36

एम0बी0सिंह
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट/नगर

_ आवश्यक _
अ0शा0प0स0 10/एस0एण्डसी0/मुनसरिम/79

लखनऊ
दिनांक 2 अगस्त 1979

प्रिय महोदय,

कृपया आप अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 128/सचिव, वि0प्रा0 दिनांक 15-6-1979 जिसके व्दारा आलमबाग़ के 60 विस्थापित व्यवसायियों की सूची भेजते यह निवेदन किया गया कि विस्थापित होने या न होने के सम्बन्ध में सूची का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में है का अवलोकन करने की कृपा करें । इस सम्बन्ध में सूची का सत्यापन कराया गया स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

सूची में अंकित 60 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति या दूकानदार के पास स्वेच्छा से दुकान हटाने की कोई भी नोटिस न तो उपलब्ध है और न ही किसी प्रकार का प्रमाण ही है । सूची के क्रम संख्या 8, 9, 10 पर अंकित व्यक्ति एक ही दूकान पर बैठते थे । क्रम संख्या 11, 12 एक ही दूकान करते थे क्रम संख्या 7-23, 40, 57 बाहर रहते हैं । इस प्रकार से इन दूकानदारों के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है । इन दूकानदारों के यूनियन के मन्त्री, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष के बताने पर और अन्य लोगों से सम्पर्क स्थापित किये जाने पर ही पता चलता है कि दुकानें आपात काल में नगर महापालिका की तरफ़ से हटवा दी गई थी । अधिकांशत: लोगों से सम्पर्क स्थापित करने पर भी यही बात मालूम हुई ।

भवदीय,

ह0 अपठनीय
(एम0 बी0 सिंह)

श्री सुरेन्द्र पाल गौड़,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।

एम/आरxxx

~~38~~
37

आलमबाग़ के विस्थापित व्यवसायियों की सूची जिनको निर्मित 60 दुकानों का आवन्टन होना है

x x x x x x x x x x x

नाम	पता
1- सर्वश्री मेहलदास - हजूरी आयलमिल	नटखोड़ा रोड, आलमबाग,लखनऊ
2- व्दारिका दास	नेहरूनगर, लखनऊ ।
3- हरीश कुमार	115/3 चन्दर नगर, आलमबाग़, लखनऊ ।
4- आँचरमल	551 एफ़/260 समीप गुरूव्दारा रामनगर,लखनऊ
5- सत्यावन	गुरूनानक नगर गली, आलमबाग,लखनऊ ।
6- रूप चन्दर	गुरूनानक नगर गली, आलमबाग़,लखनऊ ।
7- लाहोरी मल	" " " " "
8- राजेन्दर सिँह	अमरूदही बाग़, आलमबाग़, लखनऊ ।
9- जसबीर सिँह	" " " "
10-जसपाल सिँह	" " " "
11-कृष्ण गोपाल	म0न0 72/3 चन्दर नगर, आलमबाग़,लखनऊ
12-सत्य पाल	" " " " " "
13-नाथ प्रसाद	म0न0 551 एफ/80/1 मिलावाँ आलमबाग,लखनऊ
14-भूषान कुमार भाटिया	आलमबाग़ चौराहा, लखनऊ ।
15-बुध्द प्रकाश गुप्ता	म0न0 551 क/137 मिलावाँ, आलमबाग़,लखनऊ
16-जीत राम	व्दारा श्री इन्द्र जीत सिँह, आलमबाग़,लखनऊ
17-टेक चन्द	सब्जी मण्डी लखनऊ, आलमबाग़ ।
18-अनिल कान्त अहूजा	एस-7/2, चन्द्र नगर मार्केट, आलमबाग़,लखनऊ
19-सन्तोष सिँह	554/219 खा अर्जुन नगर, आलमबाग़,लखनऊ
20-डा0शैलेन्द्र नाथ	114/1 चन्दर नगर, आलमबाग़, लखनऊ ।
21-ललित कुमार	आलमबाग़, लखनऊ ।
22-रफ़ीक अहमद	नरही, लखनऊ ।
23-सुबाज सिँह	चन्दर नगर, आलमबाग़, लखनऊ ।
24-करतार सिँह	समीप सिँगार नगर पुराना डाकखाना, आलमबाग़, लखनऊ ।
25-बलवीर सिँह	बरा बिरवा आलमबाग़, लखनऊ ।
26-निर्मल सिँह	समीप सिँगार नगर पुराना डाकखाना, आलमबाग़, लखनऊ ।
27-जोगेन्दर सिँह	आलमबाग़ चन्दर नगर, लखनऊ ।
28-सुखवन्त सिँह	सिँगार नगर, लखनऊ ।
29-जितेन्दर नाथ	41- सदर बाज़ार,लखनऊ -2
30-अमरजीत सिँह	सिँगार नगर, आलमबाग़, लखनऊ ।
31-जोग सिँह	आर0डी0एस0ओ0कालोनी, लखनऊ ।
32-मँगल सिँह	समीप गुरूव्दारा, आलमबाग़, लखनऊ ।

---दर्शाया:

33-	इन्द्रजीत सिँह	समीप गुरुव्दारा, आलमबाग़, लखानऊ ।
34-	रघुबीर सिँह	नटखोड़ा, आलमबाग़, लखानऊ ।
35-	हरबँस सिँह ढ़ल	गुरुनानक गली, आलमबाग़, लखानऊ ।
36-	शाशिरानी पुत्र बधू छोटू राम	राम प्रसाद खोड़ा, आलमबाग़, लखानऊ ।
37-	रतन लाल	चन्दर नगर, आलमबाग़, लखानऊ ।
38-	श्याम सुन्दर कोहली	चन्दर नगर आलमबाग़, लखानऊ ।
39-	स्वर्न सिँह	रामनगर, आलमबाग़, लखानऊ ।
40-	श्रीमती सुर्दशान शार्मा	रेलवे कालोनी, आलमबाग़, लखानऊ ।
41-	फ़ोजा सिँह	चन्दर नगर, आलमबाग़, लखानऊ ।
42-	राजेन्द्र सिँह सरन	सिँगार नगर, आलमबाग़, लखानऊ ।
43-	नरायन	आलमबाग़ चौराहा, लखानऊ ।
44-	सार्दूल सिँह	नटखोड़ा रोड, आलमबाग़, लखानऊ ।
45-	दलजीत सिँह	लँगड़ा फाटक, आलमबाग़, लखानऊ ।
46-	सीताराम सिँह	" " " "
47-	श्री कृष्णा	आलमबाग़, लखानऊ ।
48-	बालकराम	" "
49-	छोटे लाल	" "
50-	मुन्ना लाल	" "
51-	वीरेन्द्र कुमार	चन्दर नगर, लखानऊ ।
52-	वीरा वाली	भिलाँवा आलमबाग़, लखानऊ ।
53-	बाबा दयाल सिँह	आलमबाग़, लखानऊ ।
54-	ए0आर0छाबरा	चन्दर नगर, आलमबाग, लखानऊ ।
55-	ए0सी0छाबरा	" " " "
56-	गुलाब सिँह	आलमबाग़, लखानऊ ।
57-	राम लाल	अपो0आलमबाग पुलिस स्टेशन, लखानऊ ।
58-	तुलसी दास	" " " " "
59-	नन्द लाल	" " " " "
60-	कार्यालय आलमबाग़ अपस्टेड शाप कीपर्स एसोसियेशन, लखानऊ-5	

ह0 करतारसिँह
§ करतार सिँह §
मन्त्री

ह0अपठ
§ए0आर0छाबरा§
कोषाध्यक्ष

ह0 अपठनीय
§ इन्दर जीत सिँह §
महामन्त्री

दिनाँक 14-6-79

फोन न0: 51076
शाह निवास
चन्द्र नगर, आलमबाग़,
लखानऊ, पिन-226005

§ सील §

एम/आर xxx

विषय संख्या: 14 पृष्ठ स0: 39 ~~40~~

<u>विषय</u>: जनपथ मार्केट स्थित गोदामों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=

जनपथ मार्केट में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा 45 गोदाम भूतल में बनाए गये थे । काफ़ी प्रयास करने के उपरान्त भी इन गोदामों को किसी भी व्यक्ति ने प्रीमियम पर नहीं लिया और विकास प्राधिकरण को निरन्तर किराये की हानि हो रही थी अत: यह निर्णय लिया गया कि तीन महीने का अग्रिम किराया लेकर प्रथम आगत प्रथम देय की पध्दति पर गोदामों को आवन्टित कर दिया जाये । जिन व्यक्तियों को गोदाम आवन्टित किये गये उनकी सूची संलग्न है । इन गोदामों का किराया रु0 2/- प्रति वर्ग फिट निधारित किया गया है ।

विषय लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

= = = =:::: 000 :::: = = = =

एम/आर xxx

वे स मे न्ट शाप्स

=x=x=x=x=x=x=x=

आवन्टियों का नाम	दूकान संख्या
1- शासन को आवन्टित	1,2,3,4,5
2- श्री सालिग राम खात्री	6
3- श्री मदन मोहन	8
4- श्रीमती विद्या देवी	9
5- श्री जी0के0लाम्बा	10
6- श्री चुन्नी लाल	11
7- श्रीमती शशी रानी	12
8- श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	13
9- श्री रजनीश लाम्बा	14
10- श्री बल्देव राज लाम्बा	15
11- श्री शिव चरन लाल	16
12- श्री अजीत कुमार गुप्ता	17
13- श्री पारस बाबू पाल मो0ज़हीर	18
14- शासन को आवन्टित	19,20,21,22,23,
15- श्री हसीन किदवई	24
16- श्री सलीम ऐण्ड सरीन	25
17- श्री बाबू लाल गुप्ता	26
18- श्री दीपक बजाज	27
19- श्री रमेश चन्द्र	28
20- श्री रसीद अहमद मो0इलियास	29
21- श्री एस0पी0गुलाटी	30
22- श्री अनिल कुमार अरोड़ा	31
23- श्री मुस्ताक अहमद खाँ	32
24- श्री दीपक खान्ना	33
25- खाली	34
26- श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित	35
27- श्रीमती सरला	36
28- श्री गँदीप छाबड़ा मदीराम छोड़ा	37
29- श्री अरविन्द गौतम	38
30- श्रीमती शशी मलिक	39
31- श्री राजेश लाम्बा	40
32- श्री हरी जूरी	41
33- श्री सुशील कुमार सूरी	42
34- श्री नरेश चन्द्र	43
35- श्री मो0 अँसार इदरीसी	44
36- श्री सरेन्द्र कुमार जुनेजा	45
37- श्री गाँधी आश्रम	7

एम/आरxxx

विषय संख्या: 15 पृष्ठ स0: 41

विषय: सेवा निवृत्त के दिनांक को प्राधिकरण के कर्मचारियों/ अधिकारियों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नगद भुगतान के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=

राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया है । मामले पर यथोचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि सरकारी सेवकों के अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का भुगतान कर दिया जाये ।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार वित्त (सामान्य) अनुभाग-4, संख्या जी0-1002/दस-200-77, लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 1978 (प्रतिलिपि संलग्न) से जो आदेश प्राप्त हुए है उसकी प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है । यह आदेश उन्ही कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिनांक 30-9-77 या उस के पश्चात सेवामुक्त होगें । इस शासनादेश को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

====:::: 000 :::: ====

एम/आर xxx

उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त (सामान्य) अनुभाग-4, संख्या जी-1002/दस-200-77,
लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ।

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान ।

- - - -

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान के प्रश्न पर विचार किया है। मामले पर यथोचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश दिये हैं कि सरकारी सेवकों को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का भुगतान कर दिया जाये ।

2- यह आदेश दिनांक 30-9-77 या उसके पश्चात अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों पर लागू होगें ।

3- यह सुविधा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन देय होगी:-

1- अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा ।

2- अवकाश वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकृत नकद भुगतान सेवा-निवृत्ति पर देय होगा और उसकी अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एक मुश्त की जायेगी ।

3- नकद धनराशि का भुगतान नीचे मद (4) के अधीन रहते हुए अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन और सेवा निवृत्ति के दिनांक को महँगाई भत्ता की प्रभावी दरों के अनुसार उस अवकाश वेतन पर प्राप्त होने वाले मँहगाई भत्ते की धनराशि के योग के बराबर होगा । इसके अतिरिक्त कोई नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा ।

4- ऊपर मद (3) के अनुसार आगणित धनराशि से अवकाश की उस अवधि के लिये जिसके लिये समतुल्य नकद धनराशि देय है, पेंशन तथा अन्य सेवृत्तिक लाभों के पेंशनरी समतुल्य की कटौती कर ली जायेगी ।

5- अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी सेवा निवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि की स्वीकृति के आदेश स्वमेव (जारी करने में सक्षम होगें ।

4- यह आदेश उन सरकारी सेवकों पर लागू नहीं होगें जिन्होने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति ग्रहण की हो अथवा जिन्हे अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति कर दिया गया हो ।

5- इन आदेशों के अन्तर्गत लाभ उन सरकारी सेवकों को भी ग्राह्य होगा जिन्होने दिनांक 30-9-1977 को या उसके पश्चात अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की थी और उस दिनांक पश्चात उनकी सेवा वृध्दि स्वीकृत की गई । ऐसे मामलों में सेवा वृध्दि की अवधि समाप्त होने पर अन्तिम रूप से सेवा निवृत्ति होने पर यह लाभ 180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उस अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में ग्राह्य होगा जो अधिवर्षिता के दिनांक को देय हो तथा सेवा -वृध्दि की अवधि में अर्जित किया गया हो परन्तु इसमें से सेवा वृध्दि की अवधि में उपभोग लिये गये अर्जित अवकाश यदि कोई हो को घटा दिया जायेगा परन्तु ये सुविधा ऐसे मामलों में ग्राह्य नहीं होगा जहाँ किसी सरकारी सेवक ने दिनांक 30-9-77 से पूर्व अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की हो और उसे उस दिनांक के पश्चात सेवा वृध्दि स्वीकार की गई हो ।

6- इस आदेश के जारी होने के परिणामस्वरूप अब सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में अर्जित अवकाश को अस्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । सरकारी सेवक अपने अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के एक अंश को सेवा निवृत्ति एवं पूर्व अवकाश के रूप में भी उपभोग कर सकता है । उस स्थिति में इसे कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए इन आदेशों के अन्तर्गत लाभ उसे उस अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में ग्राह्य होगा जो सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवक के अवकाश लेखो में शेष रह गया हो ।

7- अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही की जायेगी ।

त्रिभुवन प्रसाद
आयुक्त एवं वित्त सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।

संख्याजी- 4-1002 (1)/दस-200-77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर
अनुसचिव

एम/आर xxx

विषय संख्या : 16 पृष्ठ सं0: ~~44~~ 43

<u>विषय:</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने के विषय में ।

=x=x=x=x=x=

आवास विकास परिषद द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को जो चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा था उसी के अनुसार ही प्राधिकरण के भी अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त भत्ता दिया जा रहा है जो निम्न प्रकार है:-

रू0 600/- तक	रू0 20/- प्रतिमाह
रू0 601/- से 1000/- तक	रू0 25/- प्रतिमाह
रू0 1001/- से 2000/- तक	रू0 30/- प्रतिमाह
रू0 2000/- से ऊपर	रू0 35/- प्रतिमाह

सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग-2 ने शासनादेश सं0- 3480/37-2-89 डी0ए0/78, दिनांक 6-10-79 द्वारा चिकित्सा भत्ता निम्न दरों पर दिनांक 1-10-79 से दिये जाने के आदेश दिये हैं :-

रू0 350/- प्रतिमाह तक	रू0 7/- प्रतिमाह
रू0 351/-से 500/-प्रतिमाह तक	रू0 10/- प्रतिमाह
रू0 501/-से 1000/- प्रतिमाह तक	रू0 20/- प्रतिमाह
रू0 1001/- व उससे अधिक	मासिक भत्ते के स्थान पर चिकित्सा की वास्तविक रसीद प्रस्तुत करने पर वापसी की कुल वार्षिक सीमा रूपये 300/- होगी ।

शासनादेश के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया है कि "उन संस्थाओं को जिनमें उपरोक्त दरों से अधिक दर से चिकित्सा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लागू दरों को यथावत बने रहने दिया जा सकता है, परन्तु उनमें नव नियुक्ति होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्था में उच्च पदों पर प्रोन्नति होने की दशा में, चिकित्सा भत्ता सम्बन्धी उपर्युक्त नई दरें ही लागू की जायें ।"

प्रश्नगत आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को जिस दर से चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा था उसी दर से दिये जाने तथा उक्त शासनादेश के पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उच्च पदों पर प्रोन्नत होने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 6-10-79 के अनुसार चिकित्सा भत्ता आदि दिया जाना प्रस्तावित है ।

=====:::: 000 ::::====

एम/आर xxx

~~45~~
५५

संख्या- 3480/37-2-89 डी0ए0/78

प्रेषक,

श्री बी0जे0खोदायजी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा मे,

1- आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषाद,
104 महात्मा गाँधी मार्ग,
लखनऊ ।

2- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,
कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ,
गाजियाबाद (जिला मजिस्ट्रेट) मेरठ, रायबरेली,
गोरखपुर, बरेली, मथुरा ।

आवास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 6 अक्तूबर, 1979

विषय: - आवास एवं विकास परिषाद तथा विकास प्राधिकरण अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता ।

- - - - -

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषाद तथा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के सम्मुख विचाराधीन रहा है । शासन ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को पहले से दी जा रही चिकित्सा-सुविधा को तुरन्त समाप्त करके कर्मचारियों को दिनाँक 1 अक्तूबर 1979 से निम्नलिखित दर से चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जाय:-

अधिकारियों/कर्मचारियों का मूल वेतन	देय चिकित्सा भत्ते की धनराशि
रूपये 350/- प्रतिमाह तक	रूपये 7/- प्रतिमाह
रूपये 351/- से रूपये 500 प्रतिमाह तक	रूपये 10/- प्रतिमाह
रूपये 501/- से रूपये 1000 प्रतिमाह तक	रूपये 20/- प्रतिमाह
रूपये 1001 व उससे अधिक	मासिक भत्ते के स्थान पर चिकित्सा की वास्तविक रसीद प्रस्तुत करने पर वापसी की कुल वार्षिक सीमा रूपये 300/- तक होगी ।

2- गम्भीर बीमारी होने पर जैसे- हृदय रोग, कैंसर की बीमारी (जिसके उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो) अथवा ऐसी क्रोनिक बीमारी (जिसमें अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक नहीं है, परन्तु रोग के निदान हेतु काफ़ी समय लगे) ऐसी स्थित में, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके एक माह के मूल वेतन तक की धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायगा । अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में या दीर्घकालीन चिकित्सा के फलस्वरूप अधिक व्यय होने पर विशेष परिस्थितयों में उसका भार सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जा सकता है ।

क्रमश:----

3- उन संस्थाओं में जिनमें उपरोक्त दरों से अधिक दर से चिकित्सा भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लागू दरों को यथावत बने रहने दिया जा सकता है, परन्तु उनमें नव नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के संस्था में उच्च पदों पर प्रोन्नति की दशा में, चिकित्सा भत्ता सम्बन्धी उर्पयुक्त नई दरें ही लागू की जायें ।

4- इस निमित्त जो भी व्यय होगा वह सम्बन्धित संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और इसके लिये शासन द्वारा कोई अनुदान/ऋण देय नहीं होगा ।

भवदीय,

(बी०जे०छ्रोदायजी)
सचिव

संख्या- 3480(1)/37-2-89 डी०ए०/78 ,तद् दिनांक
= =

(1) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- महालेखाकार,उ०प्र०-1, इलाहाबाद ।

2- परीक्षक, स्थानीय निकाय लेखा विभाग,उ०प्र०,इलाहाबाद ।

3- सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, अनुभाग-1

4- आवास एवं नगर विकास तथा स्वायत्त शासन शाखा के समस्त अनुभाग ।

5- सूचना अधिकारी (आवास शाखा) सूचना - निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

आज्ञा से,

ह०

(प्रमोद कुमार पान्डेय)
उप सचिव

एम/आर xxx

विषय संख्या : 17

विषय: विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रार्थनापत्रों को अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु अग्रसारित करने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=

श्री विपुल प्रकाश श्रीवास्तव, ड्राफ्टमैन ग्रेड-प्रथम की नियुक्ति प्लानिंग विभाग में दिनांक 1-3-79 को वेतन मान 325-575 के क्रम में की गई थी । उन्होने एक प्रार्थनापत्र दिया है कि उन्हे सेवा योजन कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराने की अनुमति तथा "आपत्ति नही" का प्रमाण-पत्र दिया जाये । श्री श्रीवास्तव अभी लगभग 7 महीने पहले इस विभाग में आये थे और अब जब वह कार्य पध्दति सीखा कर कार्य योग्य हुए हैं तब अन्यत्र चला जाना चाह रहे हैं । भूतकाल में भी इसी प्रकार तकनीकी कर्मचारी आवेदन अग्रसारित कराकर जाते रहे हैं और इस प्रकार कार्य में अवरोध उत्पन्न होता रहा है अतएव विभागीय अनुशंसा है कि इस विषय में निम्न बिन्दुओं पर निर्णय ले लिया जाये क्योंकि यह नीति विषयक विषय है ।

1- जो अधिकारी/कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं उनका प्रार्थना पत्र नियुक्ति तिथि से 5 वर्ष तक अन्य विभागों के लिये अग्रसारित न किया जाये,

2- नई नियुक्तियां करते समय प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से यह अनुबन्ध करा लिया जाये कि उनके प्रार्थना-पत्र 5 वर्ष तक किसी अन्य विभाग को अग्रसारित नहीं किये जायेंगे,

3- उक्त नीति निर्धारण के अनुसार श्री श्रीवास्तव के आवेदन पर भी विचार करने की कृपा की जाये ।

====:::: 000 ::::====

एम/आरxxx

विषय: प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x

प्राधिकरण के कर्मचारियों ने मांग की है कि जिस प्रकार अधिकारी वर्ग को प्राधिकरण के वाहनों को निजी प्रयोग में शासकीय आदेश के अन्तर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रयोग करने की इजाज़त दी जाती है उसी प्रकार समस्त कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाये ।

यह व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता कि सभी कर्मचारियों को प्राधिकरण के वाहनों का उनकी ईच्छानुसार प्रयोग करने की स्वीकृत दे दी जाये परन्तु मानवता के दृष्टिकोण से कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितयां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें प्राधिकरण के वाहनों के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जैसे मृत्यु, शादी तथा अत्यन्त गम्भीर बीमारी व दुर्घटना के अवसर पर प्राधिकरण के वाहनों का प्रयोग करने के लिये ।

अस्तु प्रस्तावित है कि प्राधिकरण कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त विशिष्ट परिस्थितयों में वाहनों का प्रयोग करने की अनुमति देने हेतु यदि विकास प्राधिकरण सहमत हो तो निम्नलिखित शर्तों पर कर्मचारियों को वाहनों को प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान किया जाये :-

1- एक रूपये प्रति कि0मी0 की दर से किराया चार्ज किया जाये जो समय समय पर मेन्टीनेन्स कास्ट के बढ़ने पर उसी अनुपात से बढ़ाया जायेगा ।

2- कोई हैवी विहिकिल व्यक्तिगत प्रयोग के लिये नहीं दिया जाय ।

3- दिये गये वाहनों का प्रयोग लखनऊ विकास क्षेत्र की सीमा के अन्दर ही हो सकेगा ।

प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को यदि यह सुविधा स्वीकृत की जाती है तो कार्यहित में यह आवश्यक होगा कि एक जीप विशेष रूप से इस कार्य के लिये खरीद ली जाये और वह इस कार्य के लिये आरक्षित रहे । सामान्य रूप से इस जीप का प्रयोग विकास प्राधिकरण के कार्यों पर किया जायेगा परन्तु जब यह सुविधा देनी आवश्यक होगी तो इस जीप को निर्धारित किराया एवं शर्तों के साथ कर्मचारियों को निजी प्रयोग के लिये दी जा सकेगी ।

= = = = : : : 000 : : : = = = ÷

एम/आर xxx

विषय संख्या: 19

विषय: प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=

प्राधिकरण की बैठक दिनांक प्रस्ताव स0: द्वारा निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों के 10% प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये जायें । इस निर्णय के तारतम्य में कर्मचारियों ने यह भी मांग की है कि भवन के निर्धारित विक्रय मूल्य में से 10% की छूट देकर प्राधिकरण के कर्मचारियों को भवन उपलब्ध कराये जायें । इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से जानकारी प्राप्त की गई । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपने प्रस्ताव स0:5/(15)/72, दिनांक 10-7-72 द्वारा कर्मचारियों को आरक्षित भूखण्डों व भवनों के कुल विक्रय मूल्य में 10% की छूट प्रदान की थी परन्तु परिषद ने अपने प्रस्ताव संख्या 1/(27)/79, दिनांक 6-1-79 द्वारा उक्त छूट में यह प्रतिबन्ध लगाया कि परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा परिषद में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों/अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधा भवनों/भूखण्डों के विक्रय मूल्य पर 10% की छूट तब दी जायेगी जबकि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के परिषद कीसेवा में दो वर्ष व्यतीत हो चुके हों । परिषद ने अपने प्रस्ताव स0: 11/(10)/79, दिनांक 28-3-79 द्वारा यह भी निर्णय लिया था कि परिषद के कर्मचारियों को भवन/भूखण्ड के कुल मूल्य में यदि छूट दी जाती है तो हाउस बिल्डिंग ऐडवान्स के अन्तर्गत ऋण नहीं दिया जायेगा ।

आवास एवं विकास परिषद के उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है:-

1- 10% आरक्षित भवनों/भूखण्डों के आवन्टन करते समय विक्रय मूल्य में 10% की छूट निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ दी जाये !-

क- यह सुविधा उन्ही कर्मचारियों को दी जाये जो प्राधिकरण की नियमित सेवा में हो, या केन्द्रियत सेवा तथा प्रतिनियुक्ति पर आये हों ।

ख- यह सुविधा उन्ही कर्मचारी/अधिकारियों को उपलब्ध होगी जिन्होने बिल्डिंग ऐडवान्स न लिया हो ।

ग- वे कर्मचारी/अधिकारी जिन्होने बिल्डिंग ऐडवान्स लिया है यदि वे उक्त ऐडवान्स रिफन्ड कर देते हैं तो उसके पश्चात ही वे उक्त सुविधा पाने के योग्य माने जायेंगे ।

= = = = ::: 000 ::: = = = =

एम/आरxxx

विषय: भूखण्ड संख्या 3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवन्टन के सम्बन्ध में ।

नजूल भूमि खसरा संख्या 235{भा} स्थिति मौजा भदेवा ऐशबाग श्री राम लाल को अस्थायी रूप से राखी कचरा छानने हेतु रू0 11/- मासिक किराये पर आवन्टित थी । उपरोक्त भूमि एवं लगी हुई भूमि पर सा मिल योजना बनाई गयी और शासनादेश संख्या 4536 एच/37-57 एन/62 दिनांक 24-10-63 के अनुसार इसे स्वीकृत किया गया । उक्त योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार यह भूमि प्लाट संख्या -3 के रूप में आती है । योजना के अनुसार आरा मशीन लगाने के लिये यह प्लाट आवन्टित कर दिया गया और श्री राम लाल का अस्थाई आवन्टन रद्द कर दिया गया । साथ ही श्री राम लाल का कब्ज़ा अब गैर कानूनी हो जाने के कारण उनसे भूमि खाली कराने के लिये वाद दायर कर दिया गया । आरा मशीन लगाने हेतु श्री राम लाल ने भी प्रार्थनापत्र दिया था उसे स्वीकार नहीं किया गया ।

2- वर्ष 1973 में शासनादेश के आधार पर श्री एस0के0खन्ना के प्रार्थना पत्र पर प्रश्नगत प्लाट उनको आवन्टित कर दिया गया तथा उनसे एक वर्ष का नज़राना दिनांक 29-3-73 को जमा करा लिया गया परन्तु पट्टा पंजीकृत नहीं हुआ । इसी बीच श्री खन्ना ने पंजीकरण के लिये अनुरोध किया जिसके सम्बन्ध में डी0जी0सी0{सिविल} की राय प्राप्त की गयी और उन्होने इसपर अपनी सहमति दे दी । अत: दिनांक 18-2-77 को उपाध्यक्ष के आदेश से श्री खन्ना से लीज़ चार्जेज़ मांगे गये परन्तु इससे पहले कि श्री खन्ना लीज़ चार्जेज़ जमा करें कि सचिव विकास प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 3-6-77 द्वारा पट्टे के पंजीकरण पर रोक लगा दी और श्री खन्ना से बात चीत करने का निर्णय लिया गया जिससे कि इस विषय पर कोई हल निकाला जा सके ।

3- उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 1-3-78 के अनुसार यह भूखण्ड स0:3 श्री राम लाल के पक्ष में आवन्टित हुए और श्री एस0के0खन्ना के पक्ष में 1973 में किया गया आवन्टन रद्द कर दिया गया । दिनांक 10-3-78 को श्री राम लाल ने इस भूमि हेतु मांगे गये धन रूपये 12,367-50 पैसे जमा कर दिया । श्री खन्ना ने इस बीच मुन्सिफ़ नार्थ लखनऊ से कथित प्लाट किसी अन्य को आवन्टित करने के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । अभी तक भूमि का पंजीकरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया गया ।

4- इस सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण के वकील की राय ली गयी जो साथ में संलग्न है । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विकास प्राधिकरण के आदेश आपेक्षित हैं :-

क- भूमि का आवन्टन श्री खन्ना के पक्ष में किया जाये अथवा नहीं ?

ख- यदि भूमि का आवन्टन श्री राम लाल के पक्ष में किया जाता है तो उनके विरुद्ध न्यायालय में बेदखली का वाद जो दायर कर रखा गया है उसको मेन्टेन रक्खा जाये अथवा नहीं ?

ग- यदि भूमि श्री राम लाल को आवन्टित होती है तो न्यायालय के स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए फिलहाल उनकी इविक्शन की कार्यवाही रुकी रहेगी और ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध दावा वापस किया जायेगा ।

5- उपरोक्त बिन्दुओं पर विकास प्राधिकरण के आदेश आपेक्षित है ।

एम/आर××× = = = = = ::: 00 ::: = = = = =

OPINION OF SHRI J.N. CHOWDHARY ADVOCATE

The Nazul land measuring B.0.2.11.0 of khasra no.235 in Motijheel (Aishbagh Bhadewan) was allotted to one Sri Ram Lal on payment of Rs.11.00 per month w th effect from 18.4.1962 for a term of 5 y ears for stacking Rakhi and Kachra, Mr. Ram Lal started his business on the plot and paid the monthly dues.

The State Government issued a G.O. dated 24.10.1973 ordering that the Saw Mill owners at Rajendra Nagar and Aishbagh be shifted to Moti Jheel Area. A lay out plan for the establishment of Saw Mills was prepared and sanctioned and a number of plots were carved. The land which was in occupation of Ram Lal for stacking Rakhi and Kachra came within the scheme area and within the newly laider and carved plot no.3.

Mr. Ram Lal failed to vacate the land after expiry of period of 5 years. His tenancywas also determined through a notice issued in accordance w th the order dated 24.8.1970 of the then Mukhya Nagar Adhikari and he was asked to vacate the land. He failed to comply and the Mukhya Nagar Adhikari through an order dated 17.10.70 directed the office to file a suit for ejectment and arrears of rent and accordingly a case for his ejectment after treating him an ' unauthorised occupant ' was filedunder Public Premises Act in the court of City Magistrate which is still pending.

In the year 1973 the question of allotment of plot no.3 arose. There were in all 6 applicants including Ram Lal and Sri S.K. Khanna, Mr. Ram Lal had written that he will also start a saw Mill on the plot no.3.

Contd.....2

~~52~~

51

The respective claim of all the applicants were considered by the office and by an order dated 1.8.1973. The plot no.3 was allotted to Mr. S.K. Khanna, The G.O. dated 24.10.1963 said " that first preference in allotment of the plot should be given to the Saw Mill owners on Aishbagh Road, near Rajendra Nagar and only after they have been accommodated that other applications for allotment of the plots may be considered ' The G.O. laid down the principle and policy of the Government to be followed in allotting the land thus " the Governor has been pleased to order that the allotment of the Nazul plots may be made in favour of Saw Mill owner owners at the rate of Rs.1/- per sq. feet without putting their premium to aution . The rate of rent will be Rs.1,000/- per bigha per annum, as intimated in the G.O. dated March 5, 1963'. It appears from the file that Mr. Ram Lal was not a Saw Mill Owner though he says and said earlier that he will also erect a Saw Mill on the plot no.3. The office notes prepared at the time of making allotment say that the allotment in favour of Mr. S.K.Khanna is being based on the principles laid down by the Government in their G.O. It appears that the respective merits of both the applicants were considered and a decision taken as for back as in March, 1973.

Mr. Ram Lal was given land for 5 years only his tenancy was determined and a case for ejectment was filed after treating him to be an unauthorised occupant. No. fixed term lease was in his favour.

In view of above in my opinion no illegality was committed in making the allotment in favour of Mr. Khanna of the land which was in physical possession of Mr. Ram Lal.

Contd.....3

~~53~~
52

The plot was allotted to Mr. Khanna vide letter dated 14.3.1973 and Mr. Khanna agreeing to the conditions deposited Rs.7,838 on 29.3.1973 towards premium and lease rent The lease deed could not be executed and registered in his favour because the officewas of the view that " it would also not be good in Nazul interest to get the lease deed registered f for such a plot which is under encroachment litigation and the Nazul is unable to handover it possession " and the Nazul Officer informed Mr. Khanna that Registration will be possible only after decision of the case pending against Ram Lal vide letter dated 18.1.75. On his request Mr. Khanna was permitted to engage a counse to help the Nazul in an early decision of the matter.

The matter went on and ultimately it was decided that the lease deed could be executed in favour of Mr. Khanna even during pendency of the litigation at the risk of Mr.Khanna and will be subject to the result of the litigation. An order dated 9.2.1977 was passed by the Nazul Officer that the action for registration in favour of Khanna be taken and a letter dated 31.3 1977 was issued to Mr. Khanna. The above order of Nazul Officer were approved by Vice Chairman on 18.2.1977 through the above letter Mr. Khanna was asked to pay Rs.43.64 towards costs of deed and lease rent.

The allotment in favour of Sri Khanna was made in March, 1973 and he deposited the sum demanded and possession could not be delivered to him as the land was in possession of Ram Lal. The object of the suit was to get the land vacated and hand over its vacant possession to Mr. Khanna. No, reason ground has been advanced to cancel the allotment of Mr. Khanna.

Contd.....4

The allotment conferred valuable rights on Mr.Khanna and its cancellation without relevant reason or rational justification was not prefectly legal and sound. The pendency of case against Ram Lal had nothing to do with the cancellation of allotment. In view of above it was not just to cancel the allotment of Sri Khanna.

So far as the first part of question no.3 is concerned there is nothing illegal in alloting the land to a person against whome ejectment proceedings are pending in the court if a compromise is reached between the parties and such a compromise is otherwise legal and proper, but the position is changed when the rights of a 3rd person are likely to be prejudiced. The object of the proceedings was to eject Mr. Ram Lal and to gives vacant possession to the allotee Mr. S.K.Khanna, Moreso, the land was already allotted to Mr.S.K. Khanna years back and possession could not be given to him for no fault of his. The allotment dated March, 1973 in favour of Mr. Khanna was allegedly made on the principle laid down by the Government. In view of above it was not proper to allot the land to Mr. Ram Lal during pendency of the proceedings. I have to say the following about the competency of officials:-

The Nazul officer as is apparent from his note dated 22.9.1977 was not in favour of cancellation of the allotment in favour of Mr. Khanna and he suggested that Mr. Ram Lal may be allotted any other plot in the Scheme. The note submitted to Secretary was not approved by him and the Secretary in his judgement thought it better to cancel the allotment existing in favour of Mr. Khanna and make an allotment in favour of Mr. Ram Lal and accordingly he submitted the proposal to V.C. who asked the Secretary to first give an opportunity of hearing to Mr. Khanna. Accordingly a letter under registered cover was sent to Sri S. K. Khanna

CONTD...

~~55~~
54

" आपके प्रार्थनापत्र दिनाँक 28-7-77 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आप अपने मामले के सम्बन्ध में विचार विमर्श हेतु अधोहस्ताक्षरी से किसी दिन कार्यालय समय में सम्पर्क स्थापित करने का कष्ट करें "

This letter does'nt say that your allotment is likely to be cancelled.

The acknowledgement card was not received back in the office evidencing that it was received by Mr. Khanna althoggh on complaint by Secretary the postal authorities issued a certificate that the letter was delivered to the addressee on 6.10.1977. The records do not show that any meeting took place. Thereafter on 13.2.1978 the Secretary again recommended an allotment in the name of Sri Ram Lal mentioning that he is still paying the rent and cancellation of allotment of Shri Khanna to the Vice Chairman, who made some querries, and thereafter on 1.3.1978 accorded his sanction to the proposal of the Secretary. The letter of allotment dated 9.3.1978 was issued by Up Nagar Adhikari (Vikas) for Additional Secretary and in persuance thereof Sri Ram Lal deposited a sum of Rs. 12,367.50 demanded in the letter. The lease deed in favour of Mr. Ram Lal could not be executed and registered in view of a suit for specific performance filed by Mr. S.K.Khanna and continuance of an injunction restraining Nazul officer in executing the lease deed in favour of Ram Lal. The suit was filed in March,1978 and is still pending.

The Vice Chairman had delegated his powers of the Nazul Officer to the Additional Secretary who is also the Nazul officer, and is responsible for the Nazul matters. He was not in favour of alltment ment in favour of Ram Lal but the Secretary held the contrary view. If the Secretary would have himself passed the final

Contd....

orders then the question of competency could have arisen but as in this case the final orders emanated from the Vice Chairman the orders were passed by Officer who was competent to pass them.

Another aspect of the competency of the Officer is as under :-

The G.O. of 1963 enjoined upon the Nazul Officer to allot these plots at Moti Jheel to Saw Mill owners and there is no note to the effect that Mr. Ram Lal was a saw Mill owner. Was it competent on the part of Nazul Officer/ Secretary/Vice Chairman to allot it to a person who is not a Saw Mill Owner ? Mr. Ram Lal only says that he will also erect a Saw Mill on the land. A condition of elligibility for allotment of the land was laid down and Mr.Ram Lal lacked this condition of elligibility. At any rate Mr. S.K.Khanna who is said to have a Saw Mill at Aishbagh had prefrential rights in the matter of allotment and there appears to be nothing on record to suggest that his preferential rights were recognised. Even if Mr. Khann's allotment in his favour was a privelege it has been illegally withheld. If the act can be taken to be a purely Administrative act, it lacked sound basis and principles.

I feel a little difficulty in answering question nos. 4 and 5 in the manner in which they have been framed, but the following legal position and the discussions made above may help the Nazul Officer in passing suitable orders and taking further action in the matter.

The position as exists today is that both the above persons have been allotted the similar land , Both have deposited the sum demanded by the

Contd....

Nazul Officer and both of them may choose to seek specific performance of the lease. The difference between the 2 is that Mr. S.K. Khanna is a prior allottee and Mr. Ram Lal is a subsequent allottee and Mr. Ram Lal had full knowledge of the earlier allottment and agreement with Mr. S.K.Khanna when he apted to apply and obtain allotment in his favour.

There is a settled legal principle that where a subsequent purchaser has notice of previous contract for sale of that property with another person, that another person is entitled to have specific performance of his agreement. applying this principle to the facts of this case as detailed above I am of the view that Mr. Khanna is on a better legal footing and his claim for specific performance appears to be just and legal.

The over all legality of action taken and orders passed till this day may be judged and a final decision may be taken on the basis of above legal position, and discussions and important facts and circumsances detailed in this note. The suggestion of Nazul Officer that Mr. Ram Lal may be allotted any other vacant plot in the scheme may be one of the solution of the tangle.

Dated June 16th, 1979

Sd/- Jai Karan Nath
Jai Karan Nath
Advocate

विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24-11-79 जो विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में पूर्वान्ह 10-30 बजे हुई, का कार्यवृत्त

- : 0 : -

उपस्थित :

1-	श्री पी0पी0 खन्ना	-	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2-	श्री बी0जे0 खोदायजी	-	आयुक्त एवं सचिव, आवास एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3-	श्री योगेन्द्र नारायण	--	ज़िलाधिकारी, लखनऊ।
4-	श्री जे0पी0 दुबे	-	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-	श्री ओ0पी0 विश्नोई	-	महाप्रबन्धक (प्रकल्प एवं नियोजन) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6-	श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम	-	सदस्य, विकास प्राधिकरण लखनऊ।
7-	श्री करूणा शंकर वाजपेयी	-	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8-	श्री एम0ए0 लारी	-	सदस्य, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9-	श्री बी0के0 चतुर्वेदी	-	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थित :

1-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	-	सचिव, विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

विषय सं0-1 : विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पारित प्रस्ताव: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के कार्यवृत्त की निम्न संशोधनों के साथ पुष्टि की गई :-

1- श्री ओ0पी0 विश्नोई, महाप्रबन्धक, प्रकल्प एवं नियोजन उत्तर प्रदेश जल निगम का उपस्थिति इन्द्राज निरस्त किया जाय।

2- विषय संख्या-2 में पारित प्रस्ताव-1 के स्थान पर अब निम्नलिखित वाक्य लिखा जाये:-

"विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि अर्जन से मुक्त न की जाय तथा डा0 जय शंकर टण्डन को उनकी इस अर्जित की गई भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि पिछले निर्धारित नियमों व दरों व शर्तों पर आवण्टित कर दी जाये।"

क्रमशः-- 2.

3- विषय संख्या-6क में अब निम्नलिखित पैरा भी जोड़ दिया जाये :-

"उत्तर प्रदेश जल निगम को स्कीम की कास्ट पर हाता रसूल खाँ में भूमि दे दी जाये तथा विषय संख्या- 6ख के पारित प्रस्ताव के क्रम संख्या-ख के बाद एक क्रम सं0 -ग भी जोड़ दिया जाये जो निम्न प्रकार से होगा :-

""विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइड लाइन्स तैयार करने हेतु एक उप समिति गठित की जाती है जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री ज्ञानेन्द्र नाथ निगम, सदस्य, विकास प्राधिकरण श्री एम0ए0 नारी, सदस्य, विकास प्राधिकरण और आयुक्त एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह उपसमिति अपनी रिपोर्ट विकास प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी।

4- विषय संख्या-9 में पारित प्रस्ताव में जहाँ-जहाँ प्रतिवर्गफुट लिखा है उसके आगे प्रतिमाह भी जोड़ दिया जाये।

<u>विषय संख्या-2</u> : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>पारित प्रस्ताव</u> : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

2:52 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 को लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में नीति [illegible] बनाने के लिये प्राधिकरण द्वारा आदेश दिया गया था कि उक्त भूखण्ड के पास वाले भूखण्ड की जिस पर पेट्रोल पम्प बना है उसका भू-उपयोग परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया गया था इसकी रिपोर्ट दी जाये। इस सम्बन्ध में सचिव ने बताया कि पेट्रोल पम्प का भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि :-

क- पत्रावली खोने के बारे में जाँच की जाये व जिम्मेदारी निर्धारित की जाये तथा जिम्मेदार कर्मचारी को दण्डित किया जाये।

ख- उक्त पत्रावली पुनः रिकान्सट्रक्ट की जाये।

ग- मूल प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये।

2:6 (1) नजूल सम्बन्धी मैनेजमेण्ट के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजस्व परिषद एवं जिलाधिकारी लखनऊ से नजूल अधिकारी तुरन्त सम्पर्क स्थापित करें तथा आवश्यक स्टाफ नियुक्त करायें।

(2) जो स्टाफ स्वयं भरती किया जाना है उसकी तत्काल नियुक्ति कर लिया जाये।

(3) प्रथम चरण में केवल एक सेक्टर लिया जाये तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाये।

(4) प्राधिकरण द्वारा जो नजूल-कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

क्रमशः--- 3.

(5) नजूल का जो भी स्टाफ निष्ठा पूर्वक अतिक्रमण रिपोर्ट न करें तथा तथा तत्काल उसे हटवाने की नियमानुसार कार्यवाही न कराये उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जाये ।

(6) जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा यह सहमहमति दी गई थी कि वह पब्लिक प्रिमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनथराइज़ अकुपैण्ट्स) ऐक्ट के अन्तर्गत पबलिक लैण्ड पर अतिक्रमण से सम्बन्धित मुकदमों की सुनवाई के लिये एक अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट कुमारी चन्द्रा निगम को नियुक्त कर देंगे । इस पर निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया जावे कि प्राधिकरण के प्रांगण में ही एक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी जाये ताकि मुकदमों की पैरवी में सहूलियत हो एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तीव्रता आ सके ।

विषय संख्या-3: बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति-आख्या ।

पारित प्रस्ताव : बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का अवलोकन किया गया तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण को बताया गया कि इस वर्ष जैसा कि बजट में प्राविधान किया गया था, रु0 508-87 लाख रुपया सम्भावित ऋण एवं अनुदान मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । इस कमी को पूर्ण करने के लिये हडको से 147 लाख रुपये के ऋण की माँग की गई थी है तथा एल0आई0सी0से 352-00 लाख का ऋण माँगा गया है । आशा की जाती है कि हडको से यह ऋण प्राप्त हो जायेगा परन्तु एल0आई0सी0 के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है । अस्तु उपरोक्त परिस्थितियों में बजट में प्राविधानित कार्यों का पूर्णरूपेण अध्ययन किया जाये तथा अध्ययन के बाद धन उपलब्धियों के अनुसार ही कार्य कराये जायें । निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की एक आवश्यक बैठक दिसम्बर/जनवरी में बुला ली जाये । जिस प्रकार भी धन जिन श्रोतों से उपलब्ध हो सकता है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । आवश्यकतानुसार हडको के लिये और स्कीमें बनाये जायें तथा रिवाइज़्ड बजट जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय कि इस वर्ष कितना कार्य कराया जा सकेगा तथा कितना धन उपलब्ध हो सकेगा, का विवरण भी बनाया जाये ।

विषय सं0-4 : 25 एम0आई0जी0 भवनों, अलीगंज आवास योजना में प्रस्तावित, का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण, द्वितीय खण्ड)

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु व्ययानुमान रु0 12,03,825/- रुपये का व्ययानुमान एवं इस कार्य हेतु सर्वश्री रुश्दी कानस्ट्रक्शन की सर्वनिम्न निविदा रु0 12,48,720-50 की स्वीकृति प्रस्तावित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

क्रमशः- - -4.

विषय संख्या-5: अलीगंज आवास योजना में 25 एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण हेतु व्ययानुमान धनांक 12,03,825/- का तथा न्यूनतम निविदा धनांक 12,51,048-70 की स्वीकृति ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित आगणन रु0 12,03,825/- का तथा न्यूनतम निविदा सर्वश्री मदरसन्स की प्रस्तावित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है ।

विषय संख्या-6: नगर की दूर बसी हुई आबादियों से चारबाग स्टेशन तक यातायात की सुविधा हेतु आटो-रिक्शा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श उपरान्त आटो-रिक्शा की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी :-

1- बैंक द्वारा 75% आटो-रिक्शा ड्राइवर्स को ऋण दिया जाये ।

2- 12.5% ऋण प्राधिकरण द्वारा दिया जाये ।

3- 12.5% धन आटो-रिक्शा ड्राइवर द्वारा स्वयं अपने पास से जमा करना होगा ।

4- बैंक द्वारा अपने धन एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये धन की वसूली मासिक किश्तों में आटो-रिक्शा ड्राइवर्स से करनी होगी । धन की वसूली केवल 36 मासिक किश्तों में होगी ।

5- बैंक प्राधिकरण के धन को वसूल करके माह के अन्त में अन्तिम तारीख को प्राधिकरण के खाते में स्थानान्तरित कर देगा ।

6- बैंक द्वारा बाकायदा ऋणी से अनुबन्ध कराया जायेगा तथा उससे ऋण वापसी की गारण्टी हेतु आवश्यक सिक्योरिटी ली जायेगी ।

7- प्राधिकरण द्वारा भी सम्बन्धित आटो-रिक्शा का इक्वीटेबिल मार्गेज कराया जायगा ।

8- प्रथम चरण में केवल 50 आटोरिक्शा उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा चलाये जायेंगे जो कम से कम दो सीट वाले अवश्य होंगे ।

9- आटो रिक्शाज़ के लिये अलीगंज आदि कालोनी में प्राधिकरण द्वारा पार्किंग शेड बनाये जायेंगे ।

विषय संख्या-7: सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय कालोनी द्वितीय चरण में जनसंख्या का घनत्व 243 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6 प्रतिशत तथा मार्गों की चौड़ाई 15 फिट तथा 20 फिट रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित छूटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित के अनुसार अध्ययन उपरान्त आवश्यकतानुसार संशोधन करके प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाये :-

1- घटी हुई जगह की जनसंख्या से सम्बन्ध किया जाये ।

2- प्रत्येक 160 मीटर मध्यान्तर के पास 9 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध कराई जाये जिसमें सभी सुविधायें (सर्विसेज) हों ।

3- जनसंख्या का घनत्व तदनुसार निर्धारित किया जाये ।

विषय संख्या-8 : अलीगंज आवासीय योजना के द्वितीय चरण में सेक्टर "एम" में जनसंख्या का घनत्व 285 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 6.30% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फिट रखने की स्वीकृति ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विषय संख्या-7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।

क्रमशः--- 5.

विषय संख्या-9 : अलीगंज आवासीय क्षेत्र के द्वितीय चरण में "एन" सेक्टर में जनसंख्या का घनत्व 373 व्यक्ति प्रति एकड़, पार्क का क्षेत्रफल 8% तथा पाथवेज़ की चौड़ाई 15 फ़िट रखने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : निर्णय लिया गया कि विषय संख्या-7 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-10: ओल्ड पोस्ट आफ़िस कामर्शियल काम्पलेक्स की स्केच एवं वर्किंग ड्राइंग्स तैयार करने के लिये रु0 2.34 लाख मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित फीस का भुगतान कर दिया जाये ।

विषय संख्या-11: लखनऊ नगर का वर्तमान प्रमाणिक मानचित्र तैयार कराने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में समस्या का पूर्ण अध्ययन करके प्रस्ताव रखा जाये जिसमें यह भी बताया जाये कि अमुक एजेन्सियों द्वारा उक्त मानचित्र बनाया जायेगा तथा उसकी क्या कीमत होगी और कितना समय लगेगा तथा इसके लिये धन कहाँ से प्राप्त होगा ।

विषय संख्या-12: मेसर्स वास्तुआँख को छितवापुर कामर्शियल काम्पलेक्स के ड्राइंग आदि तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान आदि के विषय में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1- अगर ओपेन टेण्डर करने के पश्चात् निम्नतम टेण्डर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का आता है अथवा निम्नतम टेण्डर पर निर्माण निगम कार्य करने को तैयार हो जाता है और उक्त कामर्शियल काम्पलेक्स छितवापुर उनके द्वारा बनाया जाता है तो काम्पलेक्स की पूर्ण कीमत की 2% फीस मे0 वास्तुआँख को देय होगी ।

2- अगर ओपेन टेण्डर करने के पश्चात् निम्नतम टेण्डर पर निर्माण निगम कार्य नहीं करता है तथा कोई प्राइवेट एजेन्सी या ठेकेदार कार्य करता है तो मे0 वास्तुआँख को 3 प्रतिशत फीस देय होगी ।

3- तदनुसार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा मे0 वास्तुआँख को भेजे गये पत्र संख्या-196/एस0टी0पी0/एल0डी0ए0 दिनांक-17-11-79 की पुष्टि की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस मामले में अब अगली कार्यवाही शीघ्र ही की जाये तथा यह भी निर्णय लिया गया कि डिस्ट्रिक्ट फायर आफ़िसर से इस काम्पलेक्स के निर्माण में तथा अन्य काम्पलेक्सों के निर्माण में नियमानुसार "नो आबजेक्शन सर्टीफ़िकेट" भी प्राप्त कर लिया जाया करें ।

क्रमशः- --6.

विषय संख्या-13: सिण्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित की गई 38 दुकानों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1- प्रत्येक दुकान का किराया रू0 3-20 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की स्वीकार किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि विस्थापितों को दुकान आवण्टित करते समय कोई प्रीमियम न लिया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम पाँच वर्ष तक उक्त किराया केवल रू0 2.40 प्रतिवर्गफुट की दर से तथा उसके बाद 5 वर्ष तक रू0 3-20 प्रतिवर्गफुट की दर से लिया जायेगा । तत्पश्चात् उपाध्यक्ष द्वारा इस किराये को 25 प्रतिशत तक प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाने का अधिकार होगा । अर्थात् किराये के सम्बन्ध वही प्रक्रिया अपनाई गई थी ।

2- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर के अ0शा0प0सं0-10/एस0 ऐण्ड सी0 मुन्सरिम/79 दिनांक 2 अगस्त, 1979 द्वारा भेजी गई लिस्ट जिसमें 60 व्यक्तियों के नाम है को निम्न संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है:-

उक्त सूची में 59 व्यक्तियों के नाम जिसमें क्रम सं0-7 से 23 तक तथा 49 से 57 तक को बाहर रहने के कारण कोई दुकान देय न होगी । इसी प्रकार क्रम संख्या 8,9,10 10 जो एक ही दुकान में बैठते थे इन्हें एक ही दुकान देय होगी । इसी प्रकार क्रम संख्या 11 व 12 को भी एक ही दुकान उपलब्ध होगी । शेष एक से लेकर 59 तक के व्यक्तियों को उपरोक्त को छोड़कर एक-एक दुकान देय होगी ।

विषय संख्या-14 : हजरतगंज स्थित जनपथ मार्केट व्यवसायिक केन्द्र में स्थित गोदामों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव : सचिव एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपथ मार्केट में बहुखण्डी भवन के बेसमेण्ट में 45 गोदाम बनाये गये थे, इन गोदामों के लिये समाचारपत्रों के माध्यम से कई बार प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये परन्तु कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ । तत्पश्चात् चूँकि गोदामों के निस्तारण में विलम्ब के कारण राजस्व की काफी हानि हो रही थी, अतएव 10 गोदाम शासन को दे दिये गये तथा एक गोदाम डिस्पेलेस्ड पर्सन को टेलरिंग शाप खोलने के लिये दे दिया गया तथा एक गोदाम अप्रैल 1979 में एक ही प्रार्थनापत्र आने के कारण श्री चुन्नी लाल को दे दिया गया था । तदुपरान्त प्रथम आगत,

प्रथम प्रदत्त के आधार पर गोदाम आवण्टित किये जाते रहे । गोदामों का किराया जनपथ मार्केट की ओवर-ऑल इकोनामिक्स बनाकर 2/- रुपये प्रतिवर्गफुट प्रतिमाह निकाली गई थी । प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट पर विचारोपरान्त 2/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर से उपाध्यक्ष द्वारा किये गये आवण्टन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस समय या भविष्य में जो भी गोदाम खाली हो उन्हें शासन की आरक्षण नीति को ध्यान में रखकर आवण्टित किया जाये अर्थात् खाली हुये गोदामों को आवण्टन के लिये शासनादेश संख्या-4630/40-13-188-77 दिनांक 19-6-78 के अनुसार आरक्षण कोटा पूरा किया जाये ।

क्रमशः---- 7.

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा दुकानों, भवनों, भूखण्डों का जो भी आवण्टन किया जाये उसमें आरक्षण से सम्बन्धित उपरोक्त शासनादेश का पालन किया जाये ।

प्राधिकरण ने गोदामों को दुकान के रूप में प्रयोग करने की स्वीकृति भी प्रदान की ।

प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि आवण्टन के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो तो उसे उपाध्यक्ष की जाँच हेतु भेज दिया जावे ।

विषय संख्या-15: सेवा निवृत्त की दिनांक को प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: प्राधिकरण द्वारा शासनादेश संख्या जी0/1002/दश-200-77 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 1978 का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासन के उक्त आदेशों को प्राधिकरण के उन कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाये जो दिनांक 30-9-77 या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हों ।

विषय संख्या-16: लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता दिये जाने के विषय में ।

पारित प्रस्ताव : विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निर्णय लिया गया कि शासनादेश संख्या 3480/37-2-89डी0ए0/78 दिनांक 6 अक्तूबर, 1979 में उल्लिखित दरें दिनांक 1-10-79 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अथवा उच्च पद पर पदोन्नति पाने की दशा में अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू की जायेंगी अन्यथा इससे पूर्व के आदेश यथानुसार लागू रहेंगे ।

विषय संख्या-17: विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रार्थनापत्र को अन्य विभागों में नियुक्त हेतु अग्रसारित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

1- जो अधिकारी/कर्मचारी विभाग में कार्यरत हैं उनका प्रार्थनापत्र नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष तक अन्य विभागों के लिये अग्रसारित न किया जाये।

2- नई नियुक्तियों को करते समय प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से यह अनुबन्ध करा लिया जाये कि उनके प्रार्थनापत्र 3 वर्ष तक किसी अन्य विभाग को अग्रसारित न किये जायेंगे ।

3- उपरोक्त नीति के अनुसार सचिव, विकास प्राधिकरण श्री श्रीवास्तव के प्रार्थनापत्र पर निर्णय ले लें ।

विषय संख्या-18: प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में प्राधिकरण के वाहनों का निजी प्रयोग किये जाने से सम्बन्धित मामला अन्य प्राधिकरणों के लिये एक नीति विषयक मामला होगा । अतएव उक्त प्रस्ताव शासन के विचारार्थ

क्रमशः------8.

प्रेषित कर दिया जाये तथा शासन ~~से~~ से जो भी निर्देश प्राप्त हो उसी के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या-19: प्राधिकरण के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव चूँकि प्रदेश के सभी प्राधिकरणों की पालिसी बनाने से सम्बन्धित है अस्तु इसे शासन को भेज दिया जाये तथा शासन से इस सम्बन्ध में जो भी निर्देश प्राप्त हों उसका पालन किया जाये ।

विषय संख्या-20: भूखण्ड संख्या-3 मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत आवण्टन के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव- विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मोतीझील सा मिल योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-3 के आवण्टन के सम्बन्ध में यदि शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया है तो इसकी स्थिति पता लगा ली जाये तथा विधिक राय एवं शासन के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये उपाध्यक्ष द्वारा इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाय ।

विषय संख्या-21: विधिक मामलों में कार्यवाही हेतु उपाध्यक्ष/सचिव, विकास प्राधिकरण के अधिकार-प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा निम्नलिखित ~~निर्देश~~ अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया :-

क- प्राधिकरण के तरफ से मुकदमें से सम्बन्धित सभी नोटिसें सचिव, विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जायेंगे । प्राधिकरण के विरुद्ध जितनी भी नोटिसें बाहरी व्यक्ति निकाय, सार्वजनिक विभाग, बैंक, बीमा दफ्तर, सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय आदि से प्राधिकरण को प्राप्त होगी, उसके जवाब सचिव के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जायेंगे ।

ख- प्राधिकरण को विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमों अपील, निगरानी आदि प्रस्तुत करने होंगे या प्राधिकरण के विरुद्ध अपील, निगरानी व मुकदमों को डिफेन्स करने का पूरा अधिकार सचिव के हस्ताक्षर से व आदेश द्वारा होगा ।

ग- उच्च न्यायालयों में अपील, रिट या निगरानी करने हेतु अनुमति उपाध्यक्ष आदेशित करेंगे ।

घ- विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरुद्ध मुकदमों में प्राधिकरण के तरफ से बयान तहरीरी, प्रतिउत्तर, सचिव के हस्ताक्षर व आदेश से होंगे ।

ङ.- ~~मुकदमें×की×पैरवी×करने~~ किसी भी मुकदमा, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन वगैरह को विड्रा । । करने या सन्धि करने का नाट प्रेस करके खारिज कराने का अधिकार उपाध्यक्ष की अनुमति द्वारा होगा ।

च- मुकदमों की पैरवी करने एवं शपथपत्र जिन्टांकित करने हेतु पैरोकार सचिव द्वारा ही निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

छ- वकालतनामें पर सचिव के ही हस्ताक्षर होंगे ।

ज- विभिन्न न्यायालयों एवं मुकदमों में वकीलों की फीस का निर्धारण उपाध्यक्ष द्वारा कर दिया जायेगा । इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा । क्रमश:----9.

ज्ञ- मुकदमें से सम्बन्धित अन्य मामले में सचिव उचित निर्देश व आदेश देने के लिये सक्षम होंगे।

विषय संख्या-22 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कमेटियों का गठन।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-23: प्रथम चरण में निर्मित नक्खास की दुकानों के समक्ष निर्मित दो छोटे पार्कों को समाप्त करके उक्त स्थल पर ईंटों का खड़न्जा अथवा सीमेण्ट का फर्श बनाना।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-24 : यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा सरोजनी नगर एवं अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट में विकास के कार्य के लिये ऐग्रीमेण्ट से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन द्वारा सरोजनी नगर एवं अमौसी औद्योगिक क्षेत्र के स्वीकृत ले-आउट में विकास कार्य करने के लिये ऐग्रीमेण्ट से छूट देने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जाते हैं कि जब भी उक्त डेवलपमेण्ट कार्पोरेशन सम्बन्धित क्षेत्र को नगर महापालिका लखनऊ को हस्तान्तरित करेगा तब उनसे जो भी विकास व्यय माँगा जायेगा वह उन्हें जमा करना होगा तथा उक्त कार्पोरेशन को इस बात का लिखित आश्वासन (अण्डरटेकिंग) देनी होगी।

विषय संख्या-25: कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्डों का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या- 26: प्राधिकरण के भवनों की किराये की वसूली बैंक के माध्यम से होने की प्रथा को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या-27: विद्यालयों को भूमि का आवण्टन हेतु उप-समिति की अनुशंसा।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय :-

विषय संख्या- 28 : उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को 25-00 लाख रुपये तक के प्राविधिक कार्यों के व्ययानुमान एवं निविदा स्वीकार किये जाने के अधिकारों का प्रतिनिधायन।

पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया।

विषय संख्या- 29: तालकटोरा रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या-4 का लखनऊ महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन एवं तत्सम्बन्धी विषय पर नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने की संस्तुति की जाती है। तदनुसार संस्तुति शासन को प्रेषित की जाये।

(प्रेम प्रकाश खन्ना)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल
एवं अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण।

एपूव्ड

ह0/- योगेन्द्र नारायण
जिलाधिकारी, लखनऊ
कृते आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।